सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

25 जुलाई, 2024

सप्तदश विधान सभा — वृहस्पतिवार, तिथि 25 जुलाई, 2024 ई0

द्वादश सत्र — 03 श्रावण, 1946 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11:00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

(व्यवधान)

श्री शकील अहमद खां : महोदय, हमारा कार्यस्थगन प्रस्ताव है उसको पढ़ने दिया जाय...

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर के बाद उठाइयेगा । बोलने देंगे । अभी नहीं । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे...

(व्यवधान)

मैं आपको पढ़ने दूंगा लेकिन शून्यकाल में उठाइयेगा । प्रश्नोत्तर के बाद उठाइयेगा...

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

आप ही नेता हैं बिठाइये अपने लोगों को । श्री भाई वीरेन्द्र ।

(व्यवधान जारी)

अल्पसूचित प्रश्न सं0-6 (श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र सं0-187, मनेर)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अध्यक्ष : सब बैनर हटाइये । श्री संजय सरावगी ।

(व्यवधान जारी)

अल्पसूचित प्रश्न सं0-7 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र सं0-83, दरभंगा)

(लिखित उत्तर)

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है ।

छूटे हुए टोलों में जलापूर्ति हेतु कुल 6365 जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसकी कुल स्वीकृत राशि 4706.18 करोड़ रुपये है । छूटे हुए टोलों में जलापूर्ति हेतु कुल 4429.87 करोड़ की निविदा की गयी है ।

अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि उक्त निविदाओं में निविदा निष्पादन के क्रम में नियमानुसार प्रथम बार में प्राप्त एकल निविदा एवं कोई भी निविदाकार के

भाग नहीं लेने के कारण तथा प्राप्त निविदा के समीक्षोपरांत कुल 822.08 करोड़ की निविदा रद्द करते हुए पुनर्निविदा की गयी ।

उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट है ।

(व्यवधान जारी)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मुद्रित है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं पहला पूरक यह पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 4706 करोड़ में से 826 करोड़ के टेंडर की स्वीकृति नहीं दी गयी है...

(व्यवधान जारी)

जबकि माननीय मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या 4706 करोड़ में से 4706 करोड़ मतलब सभी टेंडर को अस्वीकृत किया गया है और मेरा पूरक प्रश्न यह भी है कि 4706 करोड़ की निविदा 7-8 महीने पहले ही हुआ अध्यक्ष महोदय, इसके कारण पानी का हाहाकार पूरे बिहार में मचा हुआ है तो मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि इस पानी के लिए जो विलंब हुआ...

(व्यवधान जारी)

क्योंकि निविदा सभी 4706 करोड़ की अगर रद्द हो गयी तो इसके कारण विलंब हुआ पानी की जलापूर्ति में तो क्या जिनकी गड़बड़ियों के कारण यह निविदा रद्द हुई, एक तो यह कि कब तक यह निविदा पूर्ण हो जायेगी और दूसरा यह है कि जिनके गड़बड़ियों के कारण यह निविदा रद्द हुई । उन पर माननीय मंत्री जी क्या कार्रवाई करना चाहते हैं मैं यह पूछना चाहता हूं...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठिये । अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कहिये । यहां वेल में कही गयी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी, कहीं छपेगी नहीं...

(व्यवधान जारी)

हम आपको अवसर देने वाले हैं, हम आपको बोलने का पूरा अवसर देंगे लेकिन आप वेल में कैसे बोल सकते हैं । अपने स्थान पर जाइये और अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कहियेगा हम सुनेंगे आपकी बात लेकिन वेल में कहने से नहीं सुनने वाले हैं...

(व्यवधान जारी)

अपने स्थान पर जाइये और अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कहिये, हम आपकी बात सुनेंगे । माननीय मंत्री, पी0एच0ई0डी0 ।

(व्यवधान जारी)

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है वह है कि हम लोग 4706 करोड़ की निविदा रद्द किये हैं लेकिन माननीय सदस्य को पता होना चाहिए यह निविदा हम लोग दो स्तर पर रद्द किये हैं...

(व्यवधान जारी)

पहले 800 कुछ करोड़ की निविदा रद्द की गयी थी । सिंगल टेंडर होने की वजह से यह निविदा रद्द हुई थी और बाद में हम लोगों ने 3500 करोड़ की निविदा रद्द की जो टोटल मिलाकर 4600 कुछ करोड़ की निविदा होती है ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जो पहले 800 कुछ करोड़ का टेंडर रद्द किया था हमने उसका पुनः टेंडर निकाल दिया है । वह डिसाइड होने वाला ही है और बहुत जल्दी इस पर काम भी शुरू हो जायेगा और जो निविदा बाद में कैंसिल हुई है...

(व्यवधान जारी)

वह भी बहुत जल्द 2-3 दिन में टेंडर में चली जायेगी और जब उसके भी टेंडर का निष्पादन हो जायेगा तो हम समझते हैं कि समय पर उसका काम भी हो जायेगा । इसलिए इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है...

(व्यवधान जारी)

श्री संजय सरावगी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि दोबारा मैंने 3506 करोड़ का टेंडर रद्द किया या कैंसिल किया तो क्या माननीय मंत्री जी उस 3506 करोड़ के रद्द या कैंसिल करने के कारणों की जांच करायेंगे और कारणों की जांच कराते हुए...

(व्यवधान जारी)

जो-जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करेंगे और समयबद्ध जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करेंगे और कब तक पुनः यह योजना चालू हो जायेगी ? पानी का हाहाकार मचा हुआ है इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं...

(व्यवधान जारी)

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह निविदा एक सप्ताह के अंदर चली जायेगी और ससमय इस निविदा का निष्पादन भी हो जायेगा और समय पर लोगों को पानी भी

मिलेगा और जो इसको रद्द करने का कारण है तो इसमें हम लोगों ने संशोधन किया है...

(व्यवधान जारी)

जो पहले का स्टीमेट बना हुआ था उसमें कई तरह का संशोधन किया गया है । कई टोले छूटे हुए थे, कई गांव छूट गये थे जिनको हम लोगों ने इकठ्ठा करके टेंडर निकालने की प्रक्रिया पूरी तरह पूर्ण कर ली गयी है । यह एक सप्ताह के अंदर टेंडर में चला जायेगा...

(व्यवधान जारी)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : अब हो गया ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा आंशिक जवाब आया है पूर्ण जवाब नहीं आया है । मैंने यह कहा कि 3506 करोड़ का जो टेंडर दोबारा रद्द किया गया उसके कारणों की जांच हो, छूटे हुए टोले में तो दोबारा फिर से हो सकता था...

(व्यवधान जारी)

लेकिन 3506 करोड़ का जो टेंडर इन्होंने दोबारा कैंसिल किया क्या उनके कारणों की जांच करायेंगे और समयबद्ध जांच कराकर...

(व्यवधान जारी)

जो लोग दोषी होंगे माननीय मंत्री जी उन पर क्या कार्रवाई करेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं । विभाग से इतना बड़ा टेंडर कैंसिल हुआ है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, टेंडर कैंसिल करने के कई कारण हैं । विभाग में जो टोले छूटे हुए थे उनको हमने ऐड करवाया है और गड़बड़ी की भी हम लोग जांच कर रहे हैं अगर कोई गड़बड़ी पायी गयी तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये न । क्यों परेशान हो रहे हैं ? ऐसे मत करिये । आप लोग कर्मचारियों का संगठन चलाते हैं और अगर टेबुल उठा गयी तो कुछ तो चोट लगने वाली है, कर्मचारियों को लगने वाली है जिनकी नेतागिरी आप करना चाहते हैं और ये कर्मचारी हमारे नहीं हैं, विधान सभा के कर्मचारी हैं । पहले भी जो अध्यक्ष थे उनके भी

कर्मचारी यही थे, हम आये तो मेरे भी यही हैं और आप कभी आइयेगा तो आपके लिए भी ये ही काम करने वाले हैं । काहे का कर्मचारी संघ चलाते हैं । उनको चोट लगाना चाहते हैं । आपको विरोध करने का अधिकार है विरोध करिये लेकिन तरीके से करिय, टेबुल क्यों उलटते हैं ? अपने स्थान पर बैठिये । अपने स्थान पर जाइयेगा तो आपकी सारी बात सुनेंगे लेकिन वेल में कही गयी कोई बात नहीं सुनी जायेगी । श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

(व्यवधान जारी)

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-8 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0-33, खजौली)</u>

(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : समाहर्ता पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) एवं सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार वस्तुस्थिति निम्नवत है :

1. पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) से प्राप्त प्रतिवेदन की वस्तुस्थिति निम्नवत है :

आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । (i) वस्तुस्थिति यह है कि इस परियोजना के लिए स्वीकृत प्राक्कलित राशि मो0 40,82,45,422.00 (चालीस करोड़ बयासी लाख पैंतालीस हजार चार सौ बाईस) रुपया में से पूर्व अर्जित भूमि एवं सरकारी भूमि का रैयतीकरण अस्वीकृत होने के कारण मो0 23,67,49,102.00 (तेईस करोड़ सड़सठ लाख उनचास हजार एक सौ दो) रुपया घटाने के उपरान्त मो0 17,14,96,320.00 (सतरह करोड़ चौदह लाख छियानवे हजार तीन सौ बीस) रुपया का संशोधित प्राक्कलन है ।

(ii) संशोधित प्राक्कलित राशि मो0 17,14,96,320.00 (सतरह करोड़ चौदह लाख छियानवे हजार तीन सौ बीस) रुपया के विरुद्ध मो0 04,81,41,019.00 (चार करोड़ इक्यासी लाख इकतालीस हजार उन्नीस) रुपया का मुआवजा भुगतान रैयतों कर दिया गया है ।

(iii) शेष रैयतों को मुआवजा भुगतान हेतु शिविर का आयोजन पूर्व में भी किया गया था जिसके आलोक में कुछ रैयतों के द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया। पुनः शेष रैयतों को भुगतान प्राप्त करने हेतु अंतिम नोटिस निर्गत किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि निर्धारित तिथि दिनांक-31 जुलाई, 2024 तक राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित मामले को Principal Civil Court में भेज दिया जायेगा ।

2. सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन की वस्तुस्थिति निम्नवत है :

एन0एच0 104 (नया नाम एन0एच0 227) हेतु वर्ष 2015-16 में भूमि अर्जन किया गया है । प्राक्कलित राशि एवं वितरित राशि का विवरण निम्नवत है:

कुल प्राक्कलित राशि : 49,05,19,774 रुपये

कुल वितरित राशि : 41,03,80,036 रुपये

अवशेष राशि : 8,01,39,738 रुपये

एन0एच0 104 का निर्माण कार्य वर्ष 2022 में ही पूर्ण हो चुका है । अवशेष राशि हेतु किसी हितबद्ध रैयत के द्वारा प्रस्तुत न करने के कारण वितरण नहीं किया गया है ।

(व्यवधान जारी)

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने खंड-1 में जो उत्तर दिया है उसमें इन्होंने बताया है कि अभी भी 12 करोड़ के आसपास राशि बची हुई है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह राशि आपको कब प्राप्त हुई थी, विभाग को और जितना आपने अभी वितरण किया है...

(व्यवधान जारी)

उसमें कितने दिन लगे हैं और इसके वितरण में और कितने दिन लगेंगे? जबकि इसी प्रकार की स्थिति सीवान एन0एच0 227 (ए0) की है, इसी प्रकार की स्थिति कटिहार के एन0एच0 131 (ए0) की है और इस प्रकार से दर्जनों एन0एच0 की सड़कें भू-अर्जन पदाधिकारियों की सुस्ती के कारण फंसी हुई हैं...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री अरूण शंकर प्रसाद : पूरक ही पूछ रहा हूं महोदय । मैं पूरक पूछ लिया हूं ।

अध्यक्ष : बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि 40,82,45,422 रुपये पश्चिमी चंपारण के एन0एच0 727 के लिए आया था लेकिन इसमें सरकारी भूमि का रैयतीकरण अस्वीकृत होने के कारण 23 करोड़ 67 लाख रुपया सरकारी भूमि का पैसा था...

(व्यवधान जारी)

मात्र 17 करोड़ 14 लाख रुपया ही भू-स्वामी को भुगतान करना था और इस 17 करोड़ रुपये में हमने 4 करोड़ 81 लाख 41 हजार 19 रुपये का भुगतान कर दिया है और जो अभी भुगतान नहीं हुआ है...

(व्यवधान जारी)

जो माननीय सदस्य की चिंता है कि अभी तक यह भुगतान क्यों नहीं किया गया । मेरी भी जानकारी में यह बात आयी कि इस भुगतान में इतना समय नहीं लगना चाहिए था इसलिए हमने जिला पदाधिकारी को एक पत्र निर्गत किया है. कि

(व्यवधान जारी)

आप स्पष्ट कीजिये कि इस भुगतान में इतनी देरी क्यों हो रही है और उसकी प्रतिलिपि भी माननीय सदस्य को हम दे रहे हैं और टेक्निकली माननीय सदस्य के मन में जो भी सवाल होगा वह सब बात हमने इसमें लिखी है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : हो गया, हो गया ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : मैं वह पत्र आपको उपलब्ध करवा देता हूं...

(व्यवधान जारी)

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय,...

अध्यक्ष : हो गया । वे कह ही दिये हैं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, नहीं हुआ है । हमने माननीय मंत्री जी से यह पूछा था कि वह राशि कब प्राप्त हुई और कितने दिन विलंब से वितरित हुई और दूसरा सवाल है महोदय कि जो पदाधिकारी इतनी सुस्ती बरतते हैं...

(व्यवधान जारी)

माननीय मंत्री जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि इसमें सुस्ती हो रही है जिसके कारण एन0एच0 के निर्माण में बाधा हो रही है तो क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनानी चाहती है कि जो पदाधिकारी विलंब करें उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का, दंड देने का प्रावधान करने का सरकार विचार करती है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कब राशि प्राप्त हुई उसकी सूचना बाद में दे दीजियेगा । जानकारी दे देंगे आपको । श्री तारकिशोर प्रसाद ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-2/मुकुल/25.07.2024

अल्पसूचित प्रश्न सं0-9 (श्री तारकिशोर प्रसाद, क्षेत्र सं0-63, कटिहार)

(लिखित उत्तर)

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अमृत जलापूर्ति योजना अन्तर्गत कुल 36 योजनाओं को विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् सभी जलापूर्ति योजना का निविदा किया गया। निविदा के माध्यम से संवेदक का चयन करने के पश्चात् योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, जिसमें 27 योजनाएं पूर्ण कर ली गयी हैं । 5 योजनाएं एकरारनामा के आलोक में पूर्ण कर गयी हैं, किन्तु Variation के रूप में कुछ अतिरिक्त कार्य कराने की आवश्यकता है, जिसे करायी जा रही है एवं शीघ्र ही पूर्ण कर ली जायेगी । शेष बचे 4 योजनाओं में 3 योजना अगस्त, 2024 तक एवं 1 योजना दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री तारकिशोर प्रसाद उत्तर मुद्रित है, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने सिर्फ चार योजनाओं के अमृत जलापूर्ति योजना के अंतर्गत लंबित होने का जिक्र किया है तो इन चार योजनाओं के लिए इन्होंने जो समय निर्धारित किया है कि 3 योजना अगस्त, 2024 तक और एक योजना दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण होगी । लेकिन महोदय, हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि कटिहार जिला में ही बुडको के द्वारा श्मशान घाट का काम चल रहा है, शव वाटर ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है और अमृत जलापूर्ति योजना का काम चल रहा है और सिर्फ एक सहायक अभियंता के भरोसे काम चल रहा है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं और परियोजना निदेशक एक है जो 6 अलग-अलग जिलों के प्रभार में हैं तो ये किस प्रकार से दावा करते हैं कि निर्धारित समय तक ये योजनाएं पूर्ण हो जायेंगी और इनके पास कोई इंजीनियरिंग कैडर नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये, माननीय मंत्री को बोलने दीजिए ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन योजनाओं की चर्चा की है, ये योजनाएं वर्ष 2020 में शुरू हुई हैं और उनमें से 27 योजनाएं पूर्ण हो गई हैं 36 में से, जो 5 योजनाएं वैरियेएशन के कारण रुकी हुई हैं, उनको वैरियेएशन करके पूर्ण किया जायेगा और शेष कार्य योजना का मैंने समय निर्धारित किया है लेकिन माननीय सदस्य जो अभियंताओं के बारे में पूछ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसे किया जायेगा, क्योंकि कैडर अभी हमारा नहीं है, हमलोगों ने असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली की है, विभिन्न विभागों से हमें अभियंता मिल रहे हैं और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि जो समय सीमा हमने निर्धारित किया है उसमें योजनाएं कम्प्लीट होंगी और बहुत जल्द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्तर के अभियंता भी सभी डिवीजन में भेजे जायेंगे ।

(व्यवधान जारी)

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि......

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका हो गया ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, अभी नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप माननीय मंत्री जी से बात कर लीजिएगा ।

(व्यवधान जारी)

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हमें एक पूरक प्रश्न करने दीजिए । महोदय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि बुडको के द्वारा कई प्रकार के काम पूरे राज्य में चल रहे हैं, इसके लिए ये समय सीमा निर्धारित करें कि कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, परियोजना निदेशक की नियुक्ति कब तक ये करेंगे । महोदय, यह बहुत ही आवश्यक है, इनके पास इंजीनियरिंग कैडर नहीं है, मात्र एक सहायक अभियंता के भरोसे अरबों रुपया का काम कैसे चलेगा, माननीय मंत्री जी यह हमें बतायें ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को कहा है कि जो जे0ई0 स्तर के अभियंता हैं उनके लिए हमलोग कान्ट्रेक्ट पर लेने जा रहे हैं और उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव स्तर के जो अभियंता हैं उनकी नियुक्ति अगले 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर हमलोग कर लेंगे, वह प्रक्रिया में है और बुडको के जो योजना निदेशक हैं उनको भेजा जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर टेबल से किसी कर्मचारी को चोट लगी तो मैं बख्शूंगा नहीं, मैं कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा, मैं आपलोगों को बता देता हूं ।

(व्यवधान जारी)

आप यह काम मत कीजिए, आपको विरोध करना है तो कीजिए और आपको जो बात कहनी है वह अपनी सीट पर जाकर कहिये लेकिन अराजकता मत फैलाइये, आपलोगों की कोई भी बात नहीं सुनी जायेगी, आपलोग अपनी-अपनी सीट पर जाइये, अगर किसी कर्मचारी को चोट लगी तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा यह बात मैं आपलोगों को बता देना चाहता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अल्पसूचित प्रश्न सं0-10 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र सं0-221, नवीनगर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान जारी)

अल्पसूचित प्रश्न सं0-11 (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्र सं0-194, आरा)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं और इस प्रश्न को करने का उद्देश्य यही है कि मैंने प्रश्न में 47 मिलों का जिक्र किया है, इनमें लगभग सभी मिल एक प्रकार से बंद हैं मुझे ऐसी जानकारी मिली है । करोड़ों का अनुदान लेकर, सरकारी सहायता लेकर मिल मालिकों ने उसे बंद किया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यही है कि रिक्वायरमेंट कितना है फिश फीड का और उत्पादन कितना होता है यह मुझे सरकार बतायें । इससे स्पष्ट हो जायेगा कि अनुदान लेकर और लाभ लेकर कितने मिल मालिक हैं जो सरकार को धोखा दे रहे हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइये माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिला के अस्थावाँ स्थित बेनर में वित्तीय वर्ष 2017-18 में नीली क्रान्ति योजनान्तर्गत लाभुक श्री कुमार शम्भु शरण द्वारा फिश फीड मिल का अधिष्ठापन किया गया है, जो वर्तमान में नियमित रूप से कार्यरत नहीं है, किन्तु फीड की माँग के अनुसार उत्पादन किया जाता है । पटना जिला के फतुहा के

जगमाल बिगहा का फिश फीड मिल वर्तमान में बिजली की आपूर्ति में निरंतरता नहीं रहने एवं वोल्टेज की समस्या के कारण तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : महबूब साहब, आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए, वहां पर जाकर बोलिये तब हम आपकी बात सुनेंगे । आप सीट पर जाइये, मैं आपकी बात सुनूंगा, सीट पर जाकर बोलिये ।

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : जिस कारण फिश फीड मिल वर्तमान में बंद है एवं क्षमतावर्धन हेतु कार्य प्रगति पर है । मोतिहारी के सुखलहिया में श्री भोला सहनी के द्वारा दो टन प्रतिदिन क्षमता के फिश फीड मिल का अधिष्ठापन किया गया है एवं वर्तमान में फिश फीड चालू स्थिति में है एवं फिश फीड का उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही, जहाँ-जहाँ फिश फीड मिल का परिचालन बंद है, वैसे फीड मिल की जाँच एवं परिचालन कराने हेतु मत्स्य निदेशालय पत्रांक-831, दिनांक-02.07.2024 द्वारा उप मत्स्य निदेशक, पटना परिक्षेत्र एवं तिरहुत परिक्षेत्र को निदेशित किया गया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : हम आपकी बात सुनेंगे, पहले आप अपनी सीट पर जाकर बोलिये । हम आपकी सारी बात सुनेंगे ।

श्रीमती रेणु देवी, मंत्री : उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत एवं अन्य योजनान्तर्गत पूर्णरूपेण निर्मित/अधिष्ठापित फिश फीड मिल के लाभुकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक में स्पष्टरूपेण निदेशित किया गया है कि बंद पड़े फीड मिलों को शीघ्र तकनीकी समाधान करते हुए फीड का उत्पादन प्रारंभ किया जाए । निर्मित फिश फीड मिल हेतु विभागीय पत्रांक-439, दिनांक-25.03.2024 द्वारा ऊर्जा विभाग से विद्युत संसर्ग (Electricity Connection) एवं मासिक बिजली दर कृषि के तर्ज पर ही निर्धारित दर के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने का अनुरोध किया गया है, जो विचाराधीन है । इसके सतत् निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं परिक्षेत्रीय उप मत्स्य निदेशक को निदेशित किया गया है ।

अध्यक्ष : अमरेन्द्र बाबू, आपको बहुत ही विस्तार से जवाब मिल गया है अब आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

अल्पसूचित प्रश्न सं0-12 (श्री विजय कुमार खेमका, क्षेत्र सं0-62, पूर्णियां)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : 1. आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियाँ जिला में दिनांक-31.03.2024 तक पशुपालन हेतु कुल 1340 (एक हजार तीन सौ चालीस) किसानों को ऋण वितरित किया गया जबकि मछली पालन हेतु 14 किसान लाभान्वित हुए । इसके अतिरिक्त जिले में कुल 1,28,403 (एक लाख अठाइस हजार चार सौ तीन) किसानों के बीच कृषि कार्य हेतु किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक।

वर्तमान में कृषि विभाग के डी0बी0टी0 पोर्टल पर कुल 2 करोड़ 1 लाख 15 हजार 866 किसान निबंधित हैं । दिनांक-31.03.2024 तक पूर्णियाँ जिला सहित बिहार में पशुपालन हेतु कुल 28,803 (अठाइस हजार आठ सौ तीन) किसानों को एवं मछली पालन हेतु कुल 811 (आठ सौ ग्यारह) लाभुकों को ऋण वितरित किए गए । जबकि कृषि कार्य हेतु कुल 38,76,143 (अड़तीस लाख छिहत्तर हजार एक सौ तेतालीस) किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया गया है ।

3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी योग्य किसानों को ऋण उपलब्धा कराया जाना है । राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक तीन माह पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि एवं सम्बद्ध विषयों की उप समिति-1 तथा पशुपालन, मत्स्यपालन, गव्यपालन इत्यादि की उप समिति-2 की बैठक आयोजित की जाती है । साथ ही, प्रत्येक तीन माह पर माननीय मुख्यमंत्री या माननीय वित्त मंत्री की अधयक्षता में बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित की जाती है । इन बैठकों में राज्य के सभी योग्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्धा कराने हेतु आवश्यक निदेश दिए जाते हैं ।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में ''किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी'', ''घर-घर के0सी0सी0 अभियान'' आदि अभियान चलाये गये हैं ताकि अधिक-से-अधिक किसानों को इस योजना का लाभ दिलाया जा सके । साथ ही, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में 10 लाख नये किसान क्रेडिट कार्ड वितरण का लक्ष्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया है । बैंकों द्वारा भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त होने में आ रही कठिनाई के सन्दर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अनुरोध किया गया है कि किसानों को भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र

आसानी से उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय । पुनः 2000 ऐसी बैंक शाखाओं जिनके द्वारा शून्य या बहुत कम के0सी0सी0 उपलब्ध कराया गया है उनके विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु भी वित्त विभाग एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को पत्र लिखा गया है ।

सरकार राज्य के सभी इच्छुक योग्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने हेतु दृढ़-संकल्पित है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इस प्रश्न का विस्तार से जवाब दिया है और खंड-क में ही उन्होंने स्वीकार किया कि....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं कि जो किसान 2 करोड़ 1 लाख 15 हजार 866 किसान निबंधित हैं, उनमें पशुपालक के लिए 28803 और मत्स्य पालक के लिए 811 और कृषि कार्य के लिए 38,76,143, अर्थात् कुल 40 लाख किसान....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका पूरक प्रश्न क्या है ?

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न यही है कि 2 करोड़ में से मात्र 40 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त हुआ है और 80 परसेंट किसान को किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है जिससे उनको इसका लाभ नहीं हुआ ।

अध्यक्ष : आपका पूरक प्रश्न क्या है ?

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न यही है कि उन 80 परसेंट किसान को सरकार कब तक किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवायेगी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइये ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में माननीय सदस्य को बताया है कि अभी तक लगभग 40 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल रहा है और इस साल जो स्टेट लेवल कमेटी की बैठक हुई उस मीटिंग में निदेशित किया गया है कि अभी तक 40 लाख किसानों को मिला था, इस साल 10 लाख किसानों को और किसान क्रेडिट कार्ड दिया जायेगा । मतलब जितना अभी तक मिला था उसका

एक चौथाई इस साल किसानों को दिया जायेगा । इस प्रकार हम बैंकों से बात करके किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : अब समय हो गया है । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-406 (श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0-9, सिकटा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0-407 (डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता, क्षेत्र सं0-118, छपरा)

(लिखित उत्तर)

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : सारण जिलान्तर्गत रिविलगंज मुख्य बाजार नगर पंचायत अन्तर्गत आता है । टेकनिवास पंचायत में 01 अदद ग्रामीण जलापूर्ति योजना, 09 अदद वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजनाओं से हर घर नल जल द्वारा एवं पंचायत में अधिष्ठापित कुल 86 चापाकल से पंचायत में शुद्ध जलापूर्ति दी जाती है । नैनी पंचायत में 01 अदद ग्रामीण जलापूर्ति योजना, 06 अदद वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजनाओं से हर घर नल जल द्वारा एवं पंचायत में अधिष्ठापित कुल 105 चापाकल से पंचायत में शुद्ध जलापूर्ति दी जाती है । मौना पंचायत (चनचौड़ा बाजार) में 15 अदद वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजनाओं से हर घर नल जल द्वारा एवं पंचायत में अधिष्ठापित कुल 59 चापाकल से पंचायत में शुद्ध जलापूर्ति दी जाती है । साढ़ा पंचायत (बाजार समिति) में 14 अदद वार्ड स्तरीय जलापूर्ति योजनाओं से हर घर नल जल द्वारा एवं पंचायत में अधिष्ठापित कुल 166 चापाकल से पंचायत में शुद्ध जलापूर्ति दी जाती है । बाजार क्षेत्र में शुद्ध पेयजल केन्द्र के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग में इस कार्यालय के पत्रांक-1438, दिनांक-22.07.2024 द्वारा प्रश्न स्थानांतरित की गई है । शौचालय का निर्माण का कार्य इस विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है। अतरू इस कार्य हेतु ग्रामीण विकास विभाग को इस कार्यालय के पत्रांक-1437, दिनांक-22.07.2024 द्वारा प्रश्न को स्थानांतरित की गई है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर संलग्न है, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न बहुत स्पष्ट है.....

अध्यक्ष : आपलोग अपनी-अपनी सीट जगह पर जाइये, मैं आपको बोलने का पूरा अवसर दूंगा । माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो आवश्यक प्रश्न किया गया है, हमें उसका जवाब चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दे दिया गया है । अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको पूरा पढ़कर सुना देता हूं ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-3/यानपति/25.07.2024

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-408, (श्री जिवेश कुमार, क्षेत्र संख्या-87, जाले)</u>

(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक ।

(1) समाहर्ता दरभंगा के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि अंचल कार्यालय, जाले में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अनुसार मौजा-जाले, थाना नं0-10, खाता नं0-1419 (पुराना), खेसरा सं0-8271, 8272, गैर मजरूआ मालिक की भूमि है । वर्तमान में प्रश्नगत मौजों का आर0एस0 सर्वे फाइनल है । उपरोक्त पुराने खेसरा से 20 से अधिक नये खेसरों का सृजन हुआ है । सिजमें से 05 खेसरा आर0एस0 खतियान में अनावाद बिहार सरकार के नाम से दर्ज है । जिस पर अतिक्रमण चिन्हित कर अतिक्रमण वाद सं0-13/2023-24 संधारित कर सभी अतिक्रमणकारियों को प्रपत्र-1 में नोटिस निर्गत कर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है । अंचल कार्यालय में उक्त भूमि का जिला परिषद् का होने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ।

(2) समाहर्ता, दरभंगा के प्रतिवेदनानुसार जाले प्रखंड के जाले साथी चैक के समीप अतिक्रमित भूमि को चिन्हित कर अतिक्रमण वाद सं0-13/2023-24 संधारित का प्रपत्र-1 में नोटिस निर्गत किया गया है । नियमानुसार अतिक्रमण खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है ।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, मेरा उत्तर मिला हुआ है, मेरा पूरक स्पष्ट है कि पुराने खेसरा का सरकारी जमीन नए खेसरा में प्राइवेट आदमी के हाथ में कैसे चला गया ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ऐसा मत कीजिए, किसी कर्मचारी को चोट लगी तो मैं कार्रवाई करूंगा । आपलोग बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

श्री जिवेश कुमार : पुराने खेसरा में सरकारी जमीन 20 खेसरा था और नए वाले में केवल 5 खेसरा में सरकारी जमीन है, 15 खेसरा में सरकारी जमीन पैसे लेकर विभागीय अधिकारी के द्वारा प्राइवेट आदमी को दे दिया गया यह गंभीर मामला है । यह बहुत गंभीर मामला है कि पुराना जमीन सरकारी है और नया में प्राइवेट आदमी का हो गया ।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये ।

श्री जिवेश कुमार : नहीं हुजूर, एक मिनट, सरकार स्पष्ट करे मेरा पूरक है कि वह जमीन क्या दान में दी गई प्राइवेट आदमी को या गिफ्ट दे दिया गया, किस वजह से पुरानी जमीन जो सरकारी थी वह नए में प्राइवेट आदमी का हो गया इसका सरकार जवाब दे ।

डा0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा सबसे पहले तो यह सवाल था कि अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित जो कर लिया गया है उसको कब हटाया जायेगा तो जवाब स्पष्ट है कि अतिक्रमण खाली करने के लिए हमलोगों ने नोटिस जारी कर दिया है और अतिशीघ्र हम वहां से अतिक्रमणकारी को हटा लेंगे । दूसरा इनका प्रश्न था कि अंचल कार्यालय में उक्त भूमि जिला परिषद् का जो है वह जिला परिषद् का अभीतक कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जिला परिषद् का अगर कोई साक्ष्य माननीय सदस्य के पास हो, उपलब्ध कराएंगे तो हम उसपर तुरंत कार्रवाई कर लेंगे ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, इसी से एक पूरक है ।

अध्यक्ष : एक ही पूरक पूछिएगा ।

श्री जिवेश कुमार : मैं एक ही पूरक पूछूंगा, महोदय, जिला परिषद् के कब्जे में यह जमीन थी, पुराने सरकारी जमीन में 20 खेसरा अलग-अलग मेंशन था, नए में सरकार के पास केवल पांच खेसरा है, 15 खेसरा जो है वह वहां के अधिकारियों की मिलीभगत से निजी हाथों में बेच दिया गया, उसका दाखिल-खारिज कर दिया गया, मेरा मूल प्रश्न यह है, इसका जवाब चाहिए कि कब तक उसपर कार्रवाई करेंगे माननीय मंत्री जी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का प्रश्न है, उसकी पूरी जांच करा लीजिए और अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई करिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री आबिदुर रहमान ।

तारांकित प्रश्न सं0-409 (श्री आबिदुर रहमान, क्षेत्र सं0-49, अररिया)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

श्रीमती मीना कुमारी ।

तारांकित प्रश्न सं0-410 (श्रीमती मीना कुमारी, क्षेत्र सं0-34, बाबूबरही)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-411 (श्री उमाकांत सिंह, क्षेत्र सं0-7, चनपटिया)

(लिखित उत्तर)

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत रबी 2022-23 मौसम में फसल कटनी प्रयोग आधारित प्राप्त उपज दर आंकड़ों के आधार पर पश्चिमी चम्पारण जिला अंतर्गत चनपटिया प्रखंड में गेहूं फसल हेतु कुल 18 पंचायत सहायता राशि के भुगतान हेतु योग्य पाया गया है । (सूची संलग्न)

उल्लेखनीय है कि रबी 2022-2023 में पूरे राज्य में 1523 ग्राम पंचायतों को फसल सहायता राशि की अनुमान्यता हेतु योग्य पाया गया है । योजना के निर्देशों के तहत योग्य ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों का क्षेत्रीय सत्यापनोपरान्त पाया गया है कि बहुत से पंचायतों का सत्यापित फसल बुआई क्षेत्र रकबा संबंधित पंचायत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आंकड़ा (GIS) से अधिक है ।

उक्त के आलोक में जिला स्तर योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC)से रबी 2022-23 मौसम के सभी 1523 योग्य ग्राम पंचायतों के आवेदनों का पुनः सत्यापन एवं पंचायत/जिला के फसल आच्छादन रकबा से मिलान कराते हुए सहायता राशि भुगतान हेतु DLCC का अनुशंसा प्राप्त किया जा रहा है । DLCC से अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् सभी योग्य ग्राम पंचायतों के स्वीकृत लाभुक किसानों को सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर चले जाइये । सबको बोलने का मौका देंगे, अपनी बात कहिएगा, हम सुनने के लिए तैयार हैं, आपलोग यहां क्यों खड़े हैं, थक जाइयेगा, जाइये बैठ जाइये । मुझे आपके स्वास्थ्य की भी चिंता रहती है । आप ज्यादा थकिएगा तो कैसे काम होगा, बैठ जाइये । आपको पूरी बात कहने का अवसर देंगे ।

श्री उमाकांत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री फसल योजना के तहत वर्ष-2022-23 में गेहूं का फसल बीमा का मुआवजा तीन वर्ष बाद भी नहीं मिल पाया । महोदय, किसानों में नाराजगी है । माननीय मंत्री महोदय एक समय-सीमा निर्धारित करें कि कब तक मुआवजा मिल जायेगा ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत रबी 2022-23 मौसम में फसल कटनी प्रयोग आधारित प्राप्त उपज दर आंकड़ों के आधार पर पश्चिमी चम्पारण जिला अंतर्गत चनपटिया प्रखंड में गेहूं फसल हेतु कुल 18 पंचायत सहायता राशि के भुगतान हेतु योग्य पाया गया है ।

उल्लेखनीय है कि रबी 2022-2023 में पूरे राज्य में 1523 ग्राम पंचायतों को फसल सहायता राशि की अनुमान्यता हेतु योग्य पाया गया है । योजना के निर्देशों के तहत योग्य ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों का क्षेत्रीय सत्यापनोपरान्त पाया गया है कि बहुत से पंचायतों का सत्यापित.....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपनी सीट पर जाइये मैं बोलने का अवसर दूंगा । वेल में खड़ा होकर कैसे बोल सकते हैं आप । हमने यही सीखा है श्री अवध विहारी बाबू से । चले जाइये अपने स्थान पर, बैठ जाइये ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : फसल बुआई क्षेत्र रकबा संबंधित पंचायत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आंकड़ा से अधिक है ।

उक्त के आलोक में जिला स्तर योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति से रबी 2022-23 मौसम के सभी 1523 योग्य ग्राम पंचायतों के आवेदनों का.....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : उम्र का ख्याल रखिए, बैठ जाइये, थक जाइयेगा तो गिर जाइयेगा ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : पुनः सत्यापन एवं पंचायत/जिला के फसल आच्छादन रकबा से मिलान कराते हुए सहायता राशि भुगतान हेतु DLCC का अनुशंसा प्राप्त किया जा रहा है । DLCC से अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् सभी योग्य ग्राम पंचायतों के स्वीकृत लाभुक किसानों को सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा ।

श्री उमाकांत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले 17 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होता था, उस फसल बीमा के माध्यम से सभी किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलता था यानी बाढ़ आता था तब भी बैंक के द्वारा, किसान के द्वारा.....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री उमाकांत सिंह : फसल बीमा प्रधानमंत्री योजना का था तो सब किसानों को लाभ मिलता था, जब राज्य सरकार करने लगी तो उसका लाभ नहीं मिल रहा है ।

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री उमाकांत सिंह : पूरक यही है कि फसल बीमा केंद्र सरकार को दे दिया जाय, ताकि वह समय-समय पर बीमा करे और उसका लाभ मिले । राज्य सरकार का बीमा समय पर नहीं मिल पाता है और पूरे देश में महोदय.....

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री उमाकांत सिंह : अलग-अलग राज्यों में सब जगह प्रधानमंत्री बीमा होता है । बिहार ही एक राज्य है जिसमें फसल बीमा राज्य सरकार करती है बाकी सब जगह केंद्र सरकार करती है ।

अध्यक्ष : हो गया, बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न सं0-412 (श्रीमती भागीरथी देवी, क्षेत्र सं0-2 रामनगर (अ0जा0)

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, रामनगर क्षेत्र में गवनाहा प्रखंड है, वहां पर थारू बस्ती है, थारू लोगों को गैस मिल चुका है और जो गरीब हैं उनके पास गैस नहीं है और जलावन के लिए लोग जंगल में जाते हैं ।

अध्यक्ष : आपका क्वेश्चन कुछ और है और आप गैस के बारे में बोल रही हैं । आपका प्रश्न सड़क के बारे में है ।

श्रीमती भागीरथी देवी : गरीब को गैस नहीं है और लोगों को है तो गरीब आदमी जंगल में जाते हैं ।

अध्यक्ष : आपने प्रश्न किया है सड़क बनाने के लिए और बात कर रही हैं गैस का तो जो क्वेश्चन रहेगा वही पूछिएगा न ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, यह योजना विकास विभाग को ट्रांसफर हुआ है ।

श्रीमती भागीरथी देवी : महोदय.....

अध्यक्ष : आपका जवाब पहुंच जाएगा, बैठ जाइये ।

श्रीमती भागीरथी देवी : महोदय, आप काम कराने के लिए योजना विकास विभाग को कह दें ।

अध्यक्ष : हां कह देते हैं । माननीय मंत्री, योजना विकास विभाग कृपया इनके प्रश्न पर ध्यान देंगे ।

(व्यवधान जारी)

अपनी जगह पर जाइये, बोलने का अवसर देंगे । यहां विमर्श होता है, विमर्श की जगह है, हम विमर्श के लिए आपको पूरा अवसर देनेवाले हैं, जितना आप कहिएगा बोलने के लिए देंगे, लेकिन अपने स्थान पर चले जाइये । आपको कार्यस्थगन पर बोलने के लिए देंगे, सबकुछ करेंगे लेकिन अपने स्थान पर चले जाइये ।

तारांकित प्रश्न सं0-413 (श्री कुंदन कुमार, क्षेत्र सं0-146, बेगूसराय)

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, सवा दस बजे तक जवाब नहीं मिला था अत: मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जवाब पढ़ दें ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, पढ़ दीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिलांतर्गत प्रश्नगत पथ बेगूसराय नगर निगम चौक, खातोपुर चौक एन0एच0-31 पथ, मुंगेर घाट रसीदपुर पथ का पथांश है जिसकी लंबाई 2.50 कि0मी0 एवं चौड़ाई 7 मीटर है । पथ ए0पी0आर0एम0सी0-2 पैकेज नंबर-12 बी अंतर्गत संधारित है । विषयांकित पथांश का चौड़ीकरण तकनीकी संभाव्यता संसाधन की उपलब्धता प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री कुंदन कुमार : पूरक ही पूछ रहा हूं महोदय, यह नगर निगम चौक से होते हुए खातोपुर चौक से लेकर एन0एच0-31 तक ढाई कि0मी0 की सड़क है, इसके कारण बेगूसराय नगर निगम में सबसे ज्यादा जाम लगा रहता है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर, मैं इनसे आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि शीघ्र-अतिशीघ्र यह बनाने का आश्वासन दे दें, मंत्री जी, बेगूसराय से आपका जुड़ाव है इस रोड का आप दे दीजिए, चौड़ीकरण अति आवश्यक है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : ठीक है, इसको हम प्राथमिकता में लेंगे ।

अध्यक्ष : श्री अजय कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं0-414 (श्री अजय कुमार, क्षेत्र सं0-138, विभूतिपुर)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-415 (श्री जनक सिंह, क्षेत्र सं0-116, तरैया)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, समाहर्ता, सारण, छपरा के प्रतिवेदनानुसार जमाबंदी के डिजिटाईजेशन के क्रम में जिलान्तर्गत तरैया, ईसुआपुर एवं पानापुर अंचल में कतिपय जमाबंदियों के ऑनलाईन प्रविष्टि में त्रुटियां प्रकाश में आयी हैं, जिसमें सुधार हेतु आर0ओ0आर0 अपडेशन का कार्य किया जा रहा है । परिमार्जन प्लस के माध्यम से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन के आधार पर भी प्रविष्टियों को जांचोपरान्त सुधारा जाता है ।

श्री जनक सिंह : महोदय, जो क्वेश्चन किया है कि तरैया, ईसुआपुर और पानापुर में आवेदकों के द्वारा जो जमाबंदी सुधार हेतु दिया गया है और सरकार की तरफ से जवाब भी आया है और स्वीकारा है कि हां गलतियां हुई हैं जिसमें एक जगह आया है कि आर0ओ0आर0 अपडेशन का कार्य किया जा रहा है, परिमार्जन प्लस के माध्यम से प्राप्त ऑनलाईन के आवेदन के आधार पर भी प्रविष्टियों के जांचोपरांत सुधार किया जाता है, मेरा कहना है कि आज से चार महीना.....

(व्यवधान जारी)

टर्न-4/अंजली/25.07.2024

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : इधर पीठ मत कीजिए । आसन की ओर पीठ करके खड़ा मत होइए । आसन की ओर पीठ करके खड़ा होइए । सीधा होकर बैठिये । आसन की ओर पीठ नहीं करिए । सीधा होइए । अपनी जगह पर जाकर बैठिये । अपनी जगह पर जाकर अपनी बात कहिए, हम आपकी बात सुनेंगे । अपनी जगह पर जाइए, हम आपकी बात सुनेंगे, मैं बार-बार कह रहा हूं । सारे बच्चे देख रहे हैं, कौन तमाशा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप लोग । ये सारे बच्चे अलग-अलग इलाकों के लोग हैं और खगड़िया के भी लोग हैं । जाकर बताएंगे कि कौन पार्टी के लोग क्या कर रहे थे । क्या चरित्र है आपके दल का, वह भी बताएंगे लोगों को । अपने स्थान पर जाइए, आपको बोलने का अवसर देने वाले हैं । विमर्श की जगह है, विमर्श करने के लिए हम तैयार हैं, आपको अपनी बात कहने के लिए अवसर देने के लिए तैयार हैं और सरकार आपके हर प्रश्न

का जवाब देने के लिए तैयार है फिर यह सवाल कहां है ? क्यों व्यवधान है ? बैठिये, अपनी जगह पर जाइए ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंदर 3 प्रखंड है, तरैया, ईसुआपुर एवं पानापुर के अंदर जो आवेदक हैं, जमाबंदी सुधार हेतु ये अंचलाधिकारी को दिये हुए हैं और यह पूरे राज्य का विषय है, उसमें आप उदाहरण दे रहे हैं कि एक महेंद्र सिंह, सन ऑफ-चांदी सिंह, ग्राम अमरदा, अंचल ईसुआपुर, सारण ने 4 मार्च, 2024 को जमाबंदी सुधार हेतु दिया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, भाषण नहीं ।

श्री जनक सिंह : हम उसी पर आ रहे हैं कि अंचलाधिकारी ने समय पर यह परिमार्जन नहीं कर रहे हैं, जमाबंदी सुधार में नहीं कर रहे, जिसके चलते पूरे तरैया विधान सभा सहित पूरे राज्य के अंदर...

अध्यक्ष : प्रश्न क्या है ?

श्री जनक सिंह : प्रश्न यह है कि जमाबंदी सुधार हेतु जो आवेदन दिये जा रहे हैं, समय पर उसका परिमार्जन नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसमें तरैया में, हमलोगों के यहां जो भी आवेदन आया था सौ प्रतिशत निष्पादित हो चुका है । ईसुआपुर में भी सौ प्रतिशत निष्पादित है, पानापुर में 99.97 प्रतिशत निष्पादित है लेकिन माननीय सदस्य जो चाह रहे हैं, वहां पर जो अस्वीकृत किया जाता है, उसमें तरैया में 24.77 प्रतिशत अस्वीकृत हुआ है, ईसुआपुर में 20.14 परसेंट अस्वीकृत हुआ है, पानापुर में 14.66 प्रतिशत अस्वीकृत हुआ है । माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए विभाग ने समाहर्ता सारण, छपरा को इस पर एक जांच बैठाया है कि विगत 6 माह में जो भी आवेदन दायर हुए हैं और जो अस्वीकृत हुए हैं उसकी जांच कराकर के आप प्रतिवेदन अविलंब कराइए और जो भी दोषी पदाधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अब हो गया आपका । उन्होंने कहा कि जांच करा लेंगे, कार्रवाई करेंगे । अब क्या है?

श्री जनक सिंह : इसमें त्रुटि की बात है और यह त्रुटि का नहीं है । आज से 4 माह पूर्व एक आवेदक ने दिया है, महेंद्र सिंह ने एक आवेदन दिया है सुधार के लिए, उसका खाता नंबर मात्र 9 में चार चढ़े हैं, पांच खाता नंबर नहीं चढ़े हैं, इसमें कहीं त्रुटि नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी दिखवा लीजिए ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : ठीक है महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0-416 (श्रीमती रश्मि वर्मा, क्षेत्र सं0-3, नरकटियागंज)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती रश्मि वर्मा । पूरक पूछिये, उत्तर संलग्न है आपका ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग । उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री नितीन नवीन, मंत्री : महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगर परिषद् नरकटियागंज को षष्ठम् राज्य वित्त आयोग के मद अंतर्गत कुल-777.96766 लाख (सात करोड़ सतहत्तर लाख छियानवे हजार सात सौ छियासठ रूपए) तथा 15वें वित्त आयोग मद अंतर्गत कुल-362.84842 लाख (तीन करोड़ बासठ लाख चौरासी हजार आठ सौ बयालीस रूपए) मात्र आवंटित की गई है, जिसमें नाला निर्माण का भी प्रावधान है ।

यदि प्रश्नांकित नाला निर्माण की योजना नगर परिषद् नरकटियागंज बोर्ड द्वारा पारित की जाती है तो निर्धारित प्राथमिकता एवं उपलब्ध आवंटन के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन हेतु नगर परिषद् नरकटियागंज द्वारा किया जा सकेगा ।

उक्त राशि के अंतर्गत इस योजना को लिया जा सकता है, नरकटियागंज नगर परिषद के द्वारा और साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का भी प्रारंभ हुआ है उस योजना के अंतर्गत भी इस योजना को लिया जा सकता है ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, विभाग के द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि इस योजना का चौथी बार टेंडर प्रक्रिया में लाया गया है और मेरे हिसाब से यदि टेंडर प्रक्रिया में लाया ही गया है तो उसकी नियमावली में कुछ चेंजेज करके रीटेंडर हो तो यह टेंडर संभव हो सकता है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने सदस्यों को भी कहिए अपने स्थान पर बैठने के लिए । अपने दल के सदस्यों को भी कहिए । माननीय मंत्रीजी ।

श्री नितीन नवीन, मंत्री : महोदय, निश्चित रूप से यथाशीघ्र करा ली जाएगी ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, समय-सीमा को निर्धारित कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : शीघ्र करा लिया जाएगा । बैठिये ।

श्री प्रेम शंकर प्रसाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-417 (श्री प्रेम शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0-99, बैकुण्ठपुर)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-418 (श्री कृष्ण कुमार मंटू, क्षेत्र सं0-120, अमनौर)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक । सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुच्छेद-2 (2.4) में सहकारी समितियों को नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने का प्रावधान है ।

2. स्वीकारात्मक । लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अनुच्छेद-9 (4) में सहकारी सोसाइटियों को उचित दर के दुकानों का अनुज्ञप्तिकरण का प्रावधान है ।

3. स्वीकारात्मक । बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अनुच्छेद-8 में उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकताएं-अनुकम्पा मामले को छोड़कर उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकताएं निम्न रूप में होंगी-

1. स्वयं सहायता समूह,
2. महिलाओं की सहयोग समितियाँ,
3. पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ,
4. शिक्षित बेरोजगार,
5. संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी ।

4. सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, उत्तर संलग्न है ।

श्री कृष्ण कुमार मंटू : महोदय, मंत्रीजी का जवाब आया है और माननीय मंत्री जी का जवाब, सरकार का है कि सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है और विचाराधीन कैसे नहीं है जब सदन में सदस्य उनके सवाल रखते हैं, मंत्री जी से आग्रह है कि इसको शामिल किया जाए चूंकि सरकार का ही पत्रांक-दिनांक-381217/2011 में सभी जिला पदाधिकारी को आदेश गया है कि उसमें उपभोक्ता संरक्षण समिति को, भंडार को भी

लाइसेंस दिया जाएगा । उसके बाद सरकार ने उस चिट्ठी को भेज कर उसको हटा दिया और सरकार कहती है कि उसके पास विचाराधीन ही नहीं है, कैसे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक बार इसको दिखवा लिजिए ।

श्री कृष्ण कुमार मंटू : महोदय, बता दिया जाय, मंत्री जी से आग्रह होगा आपके माध्यम से ।

अध्यक्ष : बैठिएगा तब न । बैठिये ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर में स्पष्ट है कि लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2015 के अनुच्छेद-9 (4) में सहकारी सोसाइटियों को उचित दर पर दुकान का अनुज्ञप्ति का प्रावधान पहले था लेकिन महोदय, अब संशोधन हुआ है और वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकानों का अनुज्ञापन एवं इससे संबंधित समस्त कार्य बिहार सरकार लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 में निहित प्रावधान के तहत की जा रही है । जिसमें सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान नहीं है । इसलिए अभी फिलहाल हमलोग इसमें नहीं दे सकते हैं ।

अध्यक्ष : नहीं है ।

श्री कृष्ण कुमार मंटू : श्रीमान् गलत जवाब है केंद्र सरकार सार्वजनिक मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालयादेश, नई दिल्ली, 20 मार्च, 2015 का हमारे पास लेटर है कि भारत सरकार में प्रावधान है और जब सरकार में है तो बिहार सरकार में क्यों नहीं है ?

अध्यक्ष : आप लेटर इनको दे दीजिए ये दिखवा लेंगी । बैठिये ।

श्री कृष्ण कुमार मंटू : नहीं महोदय, इसको रखा जाय सदन में ।

अध्यक्ष : दे दीजिए न । यहां दे दीजिए इनको, ये दिखवा लेंगी । श्री जितेंद्र कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं0-419 (श्री जितेंद्र कुमार, क्षेत्र सं0-171, अस्थावां)

(लिखित उत्तर)

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : (क). उत्तर स्वीकारात्मक है । कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-5076, दिनांक-30.06.2024 द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों में मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदस्थापना की गई है ।

(ख). उत्तर अस्वीकारात्मक है । बिहार सरकार, सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-3545, दिनांक-03.07.2014 द्वारा गठित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2014 के नियम-3 (1) द्वारा गठित पद सोपान अनुसार प्रोन्नति के द्वितीय स्तर पर मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद का प्रावधान है । साथ ही, उक्त सेवा नियमावली के नियम-10 द्वारा वरीयता-सह-योग्यता एवं न्यूनतम निर्धारित

कालावधि पूरी करने के आधार पर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों की प्रोन्नति का प्रावधान है ।

स्पष्टतः मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति/उच्चतर प्रभार प्राप्त कर्मी संवर्ग के वरीय कर्मी हैं तथा इन्हें एक निर्धारित अवधि की सेवा पूरी करने के कारण सहकारिता विभाग के सभी कार्यों, जिसमें बैंकिंग भी शामिल है, का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष अनुभव प्राप्त है ।

सहकारी बैंकों के द्वारा पूर्व में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की सेवा की माँग की जाती रही है तथा कई बैंकों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की सेवा ली जाती रही है । तदालोक में बिहार सरकार, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना) के संकल्प संख्या-8824, दिनांक-23.11.2023 द्वारा राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंक में मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद राज्य मंत्रिमंडल के अनुमोदन से स्वीकृत किए गए हैं ।

(ग) उपरोक्त कंडिकाओं के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों में मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की पदस्थापना स्वीकृत पदों के विरुद्ध की गई है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, जितेंद्र जी ।

श्री जितेंद्र कुमार : महोदय, उत्तर भ्रामक है । मैं पूछता हूं कि को-ऑपरेटिव एक्ट से चलता है कि न कि सहकारिता विभाग के आदेश से । जो को-ऑपरेटिव एक्ट है 66 (B) में स्पष्ट है कि इस ढंग का कोई मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी नहीं हो सकता है तो क्या सरकार पुनः विचार करने का विचार रखती है ?

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, खंड-ख में स्पष्ट कर दिया गया है बिहार सरकार, सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-3545, दिनांक 03.07.2014 द्वारा गठित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2014 के नियम-3(1) द्वारा गठित पद सोपान अनुसार प्रोन्नति के द्वितीय स्तर पर मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद का प्रावधान है । साथ ही, उक्त सेवा नियमावली के नियम-10 द्वारा वरीयता-सह-योग्यता एवं न्यूनतम निर्धारित कालावधि पूरी करने के आधार पर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों की प्रोन्नति का प्रावधान है । मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति/उच्चतर प्रभार प्राप्त कर्मी संवर्ग के वरीय कर्मी हैं तथा इन्हें एक निर्धारित अवधि की सेवा पूरी करने के कारण सहकारिता विभाग के सभी कार्यों, जिसमें बैंकिंग भी शामिल है, का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष अनुभव प्राप्त है ।

सहकारी बैंकों के द्वारा पूर्व में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की सेवा की माँग की जाती रही है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइए, स्थान पर जाकर बोलिए ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : तथा कई बैंकों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की सेवा ली जाती रही है । तदालोक में बिहार सरकार, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना) के संकल्प संख्या-8824, दिनांक-23.11.2023 द्वारा राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंक में मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद राज्य मंत्रिमण्डल के अनुमोदन से स्वीकृत किए गए हैं ।

श्री जितेंद्र कुमार : महोदय, हमने कहा कि को-ऑपरेटिव एक्ट से चलता है न कि सहकारिता विभाग के आदेश से चलता है । महोदय, न आर0बी0आई0 कहता है, न बैंक की कार्मिक नीति कहता है और न इनको बैंकिंग अनुभव है, यह स्पष्ट को-ऑपरेटिव एक्ट में प्रावधान है कि 66 (B)में इस ढंग का कोई पद नहीं है फिर भी विभाग के द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस ढंग का पद पदस्थापित किया गया है तो पुनः विचार करने का विचार रखती है, मैंने सरकार से यह पूछा है ।

अध्यक्ष : उसको एक बार दिखवा लीजिए ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, जरूर दिखवा लेते हैं ।

टर्न-5/आजाद/25.07.2024

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0-420(श्री राजेश कुमार गुप्ता,क्षेत्र सं0-208,सासाराम)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-421 (श्री जय प्रकाश यादव,क्षेत्र सं0-46,नरपतगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : 1. आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुतः अररिया जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया में वर्ष 2014-15 तथा इसके पूर्व निर्मित 59 अदद् सोलर ऊर्जा चालित मिनी जलापूर्ति योजना है । सर्वेक्षण अनुसार कुल 05 अदद् मिनी जलापूर्ति योजना जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है । 13 अदद् सोलर चालित मिनी जलापूर्ति योजना को क्रियाशील कर दी गई है तथा शेष 41 अदद् योजना को क्रियाशील करने का कार्य प्रगति पर है । साथ ही 31 अदद्

मिनी जलापूर्ति योजना से संबंधित बसावट ''हर घर नल का जल'' योजना से आच्छादित हैं तथा शेष 10 अदद् मिनी जलापूर्ति योजना से संबंधित बसावट को छुटे हुए टोलों में सम्मिलित कर लिया गया है ।

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, फारबिसगंज में वर्ष 2014-15 तथा इसके पूर्व निर्मित 53 अदद् सोलर ऊर्जा चालित मिनी जलापूर्ति योजना है । सर्वेक्षण अनुसार कुल 6 अदद् सौर ऊर्जा चालित मिनी जलापूर्ति योजना जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा 7 अदद् सोलर चालित मिनी जलापूर्ति योजना क्रियाशील कर दी गई है तथा शेष 40 अदद् योजना को क्रियाशील करने का कार्य प्रगति पर है । जिसमें से 25 अदद् मिनी जलापूर्ति योजना में ''हर घर नल का जल'' योजना से आच्छादित है तथा शेष 15 अदद् मिनी जलापूर्ति योजना से संबंधित बसावट को छुटे हुए टोलों में सम्मिलित कर लिया गया है ।

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है जयप्रकाश जी, पूरक पूछिए ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त है माननीय मंत्री जी का, सौर ऊर्जा संचालित नियमित जलापूर्ति योजना से संबंधित है और भारी संख्या में जलापूर्ति अभी बंद है । भीषण गर्मी का समय है, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि कुछ को क्रियाशील कर दिया गया है, शेष 40 अदद अररिया में और 41 अदद फारबिसगंज में .....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री जय प्रकाश यादव : तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह कब तक चालू हो जायेगा, जो शेष 40 एवं 41 अदद अररिया एवं फारबिसगंज अनुमंडल में बचा हुआ है, यह कब तक हो जायेगा, चूँकि अभी भीषण गर्मी का समय है ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, पूरे जिले में दो डिविजन है और दोनों डिविजन का पूर्ण रूप से जाँच कराया गया है । माननीय सदस्य को कहीं विशेष तौर पर लगता है कि यहां बंद है, यहां पर चालू होना जरूरी है तो हमें लिखकर दे देंगे तो हम उसको 15 दिनों के अन्दर चालू करा देंगे । वैसे पूरे जिले का तीन महीना के अन्दर पूर्ण रूप से चालू कराने का प्रयास करेंगे ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-422(श्री मनोहर प्रसाद सिंह,क्षेत्र सं0-67,मनिहारी(अ0ज0ज0)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-423 (श्री पवन कुमार जायसवाल,क्षेत्र सं0-21,ढ़ाका)</u>

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं देख पाये हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग । उत्तर पढ़ दीजिए ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1. अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सैरातों/मेलों के आयोजन हेतु विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर विभाग स्तर से राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

राशि का उपबंध बजट मुख्य शीर्ष-2029 भू-राजस्व-404 सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध -0002-हाट बाजार कचहरी इत्यादि का संरक्षण-2701-लघु कार्य, मांग सं0-40 विपत्र कोड-40-2029001040002 के अन्तर्गत किया जाता है ।

सैरातों के विकास हेतु अधियाचना की मांग सभी समाहर्ता से, जब माननीय सदस्य का प्रश्न आया, उसके बाद हमने सभी समाहर्ता, बिहार से इसके लिए अधियाचना विभागीय पत्रांक-1807(9) दिनांक 18.07.2024 द्वारा की गयी है । जैसे ही जिलों से अधियाचना प्राप्त होता है, उसको हमलोग तुरंत उस सैरात के विकास के बारे में सोचेंगे ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा राज्य के हाट बाजार/सैरातों का डाक होता है । प्रावधान है पहले से कि उस हाट बाजार/सैरातों से जो राजस्व की प्राप्ति होगी, उसका 25 प्रतिशत राशि उसी के विकास पर खर्च किया जायेगा । राज्य में अभी तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किसी हाट बाजार के विकास पर एक रूपया खर्च नहीं की है । चूँकि ऐसा कोई हेड निर्धारित नहीं हुआ है । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इसमें डी0एम0 से प्रतिवेदन मांगने का कोई विषय नहीं है । जहां से राजस्व प्राप्ति होती है, उस हाट बाजार के विकास पर आप नियम बनाकर राशि खर्च करने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं ?

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने जो अभी पत्र समाहर्ता को भेजा है, उसमें हमने उनसे मांगा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सैरातों से कितनी राशि वसूली की गई है और साथ ही साथ अब तक वसूली की गई राशि कितनी है और सैरातों के विकास के लिए अधियाचित राशि आपको कितना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, ऐसे हम पैसा नहीं भेज सकते हैं, जब तक हमको अधियाचना नहीं आयेगा कि उस सैरात के विकास के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, इसीलिए हमने समाहर्ता से यह प्रतिवेदन

मांगा है और जैसे ही प्रतिवेदन इसके संबंध में आ जायेगा, प्रावधान के अनुसार, नियम के अनुसार उस जिला को उस सैरात के विकास के लिए राशि उपलब्ध करा दी जायेगी ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-424(श्री अशोक कुमार चौधरी,क्षेत्र सं0-92,सकरा(अ0जा0)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-425(श्री विनय कुमार,क्षेत्र सं0-225,गुरूआ)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-426(श्री राजेश कुमार सिंह,क्षेत्र सं0-104,हथुआ)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-427(श्रीमती प्रतिमा कुमारी,क्षेत्र सं0-127,राजापाकर(अ0जा0)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-428(श्री अजीत शर्मा,क्षेत्र सं0-156,भागलपुर)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-429(श्री आलोक रंजन, क्षेत्र सं0-75,सहरसा)

(लिखित उत्तर)

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : 1. वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा नगर निगम द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर ऑटो-ई-रिक्शा पड़ाव के प्रस्तावों पर सशक्त स्थायी सर्मिति के बैठक में स्वीकृति दी गई है, जो निम्नवत है :-

(1) सम्राट अशोक भवन वार्ड नं0-34 के दक्षिण-पश्चिम खाली स्थान पर एवं रमेश झा महिला महाविद्यालय के बगल में ऑटो स्टैण्ड ।

(2) सहरसा व्यवहार न्यायालय के सामने मोटरसाईकिल स्टैण्ड ।

(3) सुपर मार्केट बजरंगबली मंदिर के पास ई-रिक्शा स्टैण्ड ।

2. तदनुसार नगर निगम, सहरसा द्वारा उपरोक्त के आलोक में वाहन पड़ाव के निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है, पूरक पूछिए ।

श्री आलोक रंजन : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पुराना जिला होने के कारण सहरसा बाजार जो है, वह बहुत घना है और सकरा सड़क है ....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री आलोक रंजन : महोदय, विभाग के द्वारा जवाब दिया गया है कि सशक्त स्थायी समिति में अभी तुरंत यह निर्णय ले करके कुछ स्थान चिन्हित किये गये हैं लेकिन महोदय, हम यह पूछना चाहते हैं कि इसको अभी तक क्यों नहीं किया गया और जब निर्णय लिया गया तो इसको कितना जल्द शुभारम्भ करेंगे और कुछ जगह जो चिन्हित किया है, उसमें कई जगह छूट गया है तो पूरे सहरसा नगर क्षेत्र में जहां-जहां इसकी आवश्यकता है, उन सभी जगहों पर इस प्रकार का स्टैण्ड बनाकर के सहरसा को जाम से मुक्ति, सहरसा के लोगों को पैदल चलने में कठिनाई होती है, उससे मुक्ति दिलाने का काम कब तक करेंगे माननीय मंत्री जी ?

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : माननीय सदस्य को मैंने जवाब में स्पष्ट कहा है, चूंक सहरसा नगर निगम ने ऑलरेडी प्रस्ताव स्वीकृति के लिए गया हुआ है । जैसे ही वहां से प्रस्ताव स्वीकृत होकर आयेगा तो कुछ राशि तो सहरसा नगर निगम खुद खर्च कर सकती है अपनी राशि है और उसके बाद अगर विभाग को भेजता है तो विभाग भी इसको सकारात्मक रूप से विचार करेगी ।

श्री आलोक रंजन : महोदय, हम इसको चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द हो, कुछ जगह छूट गया है, सब जगह से नहीं भेजा गया है ....

अध्यक्ष : भेजवा दीजिए वहां से ।

श्री आलोक रंजन : धन्यवाद महोदय ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-430(श्री भीम कुमार सिंह,क्षेत्र सं0-219,गोह)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-431(श्री महा नंद सिंह,क्षेत्र सं0-214,अरवल)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-432(श्री सत्यदेव राम,क्षेत्र सं0-107,दरौली(अ0जा0)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-433(श्री विश्व नाथ राम,क्षेत्र सं0-202,राजपुर(अ0जा0)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-434(श्री संदीप सौरभ,क्षेत्र सं0-190,पालीगंज)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-435(श्री अजीत शर्मा,क्षेत्र सं0-156,भागलपुर)</u>

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-436(श्री विजय कुमार मंडल,क्षेत्र सं0-210,दिनारा)</u>

श्री विजय कुमार मंडल : मैं पूछता हूँ ।

(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, समाहर्त्ता, रोहतास के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि खाता-332 न होकर 232 है जिसका खेसरा-364, रकबा-15.41 ए0 भूमि अनाबाद सर्व साधारण किस्म-पुरानी परती तथा खाता-232, खेसरा-788, रकबा-1.47 ए0 भूमि अनाबाद सर्व साधारण किस्म-गवही है । उक्त दोनों प्लॉट पर किसी तरह का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है । इस संबंध में राजस्व कर्मचारी एवं अमीन द्वारा स्थल जॉच की गई है । यदि भविष्य में किसी तरह का कार्य उस प्लॉट पर होता है तो तुरन्त उस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री विजय कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : सबलोग बात मानिए इनका और अपने स्थान पर जाकर बैठिए । देखिए आपके मेम्बर क्या कह रहे हैं । सबलोग देख रहा है कि आपलोग हाऊस को डिस्टर्व कर रहे हैं । आपलोग अपने-अपने स्थान पर जाईए, बोलने का मौका देंगे । अपनी बात अपने स्थान पर जाकर कहिए । वेल में कही गई कोई बात कार्यवाही में नहीं जायेगी।

(व्यवधान जारी)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-437(श्री पवन कुमार यादव,क्षेत्र सं0-155,कहलगांव)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक ।

2. स्वीकारात्मक ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि वित्त विभाग के पत्रांक-4588, दिनांक 02.05.2024 द्वारा पी0एल0/पी0डी0 खाता में जमा अप्रयुक्त राशि 31 मार्च, 2024 को (यथा दिनांक 01.04.2019 के प्रभाव के पॉच कमिक वित्तीय वर्ष के अंत में) सी0एफ0एम0एस0 में स्वतः व्ययगत हो चुकी है ।

उक्त स्वतः व्ययगत राशि पुनः उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला हुआ है, पूरक पूछिए ।

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह राशि आप कब तक उपलब्ध करायेंगे ?

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : महोदय, यह राशि 2019 में वित्तीय वर्ष के सी0एफ0एम0एस0 के तहत वापस हो गया था, इसके लिए हमलोगों ने पत्र लिख दिया है, मुझे उम्मीद है कि अगले तीन महीने में राशि वापस आने के बाद निर्गत किया जायेगा ।

अध्यक्ष : जल्दी करा दीजिए ।

श्री पवन कुमार यादव : धन्यवाद माननीय मंत्री जी को ।

तारांकित प्रश्न सं0-438(श्री अवध बिहारी चौधरी,क्षेत्र सं0-105,सीवान)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-439(श्री संजय सरावगी, क्षेत्र सं0-83,दरभंगा)

(लिखित उत्तर)

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा सदर विधान सभा के सदर प्रखंड में अवस्थित 8 पंचायतों में कुल 114 अदद् वार्ड है, जिसमें जलापूर्ति योजना का निर्माण 7 वार्डों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तथा 107 वार्ड में पंचायती राज विभाग के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा कराया जाना था ।

विभाग द्वारा 7 वार्डों में संवेदक के माध्यम से 5 वर्षों का मरम्मत एवं सम्पोषण के साथ कार्य कराया जा चुका है एवं इन सभी वार्डों में जलापूर्ति चालू है तथा संवेदक के द्वारा इसका रख-रखाव किया जा रहा है ।

पंचायती राज विभाग द्वारा 107 वार्डों में से 103 अदद वार्ड में कार्य कराया गया था तथा कंसी पंचायत के वार्ड संख्या-7 एवं 11 तथा कबीरचक पंचायत के वार्ड संख्या-6 एवं 7 में पंचायती राज विभाग द्वारा 'हर घर नल का जल' प्रारंभ नहीं किया गया था, इसमें से कंसी पंचायत के वार्ड संख्या-7 में मात्र बोरिंग का कार्य किया गया था । शेष 103 वार्डों में जलापूर्ति प्रारंभ की गई थी । विभागीय निदेशानुसार 103 अदद योजना का हस्तांतरण 'As is where is' के आधार पर पंचायती राज विभाग से हस्तांतरण ले लिया गया है ।

कुल 103+7=110 अदद योजनाओं में से 94 अदद योजना से जलापूर्ति हो रही है, जिसमें से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के 7 अदद योजना से पूर्णरूपेण तथा पंचायती राज से हस्तांतरित 103 अदद् योजनाओं में 87 अदद् योजनाओं से आंशिक रूप से जलापूर्ति हो रही है । 16 अदद बंद योजनाओं की साधारण मरम्मति कर 10 दिनों के अंदर योजना चालू करा दी जायेगी ।

शेष 4 अदद् योजनाओं क्रमशः कंसी पंचायत के वार्ड संख्या-07 में सिर्फ बोरिंग का कार्य हुआ है एवं वार्ड संख्या-11 तथा कबीरचक पंचायत के वार्ड संख्या-06 एवं 07 जिनमें कोई भी कार्य नहीं हुआ है, का सर्वे कराते हुए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।

87 अदद् योजनाओं को पूर्णरूपेण आच्छादित कर चालू कराने हेतु वृहद मरम्मति कार्य से संबंधित प्राक्कलन भी तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, जवाब संलग्न है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आठों पंचायत में नल-जल योजना की हालत खराब है । विभाग ने स्वीकार किया है कि 114 वार्ड में से 16 वार्ड में पूर्णतः बंद है और 87 अदद् वार्डों में आंशिक रूप से प्रारंभ है । 87 वार्ड और 16 वार्ड और विभाग ने कहा है कि प्राक्कलन बनाकर के ....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए न ।

श्री संजय सरावगी : 87 और 16 वार्डों में कब तक पूर्ण रूप से नल-जल योजना प्रारंभ हो जायेगी, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ? पेय जलापूर्ति की हालत बहुत खराब है ।

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के ही जिले के मंत्री थे, पहले मिलकर के काम करा लिये होते । महोदय, जो भी गड़बड़ी है, जिसमें गड़बड़ी लग रहा है, उसमें हमलोग एक महीना के अन्दर ठीक करने वाले हैं और जहां नहीं लगा है, वहां के लिए निविदा प्रोसेस में है, जैसे ही निविदा निकलेगा, प्रायोरिटी के तौर पर हम आपके यहां जरूर काम कराने का कोशिश करेंगे महोदय ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-440(डॉ0 सी0एन0 गुप्ता,क्षेत्र सं0-118,छपरा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : महोदय, 1. वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय राज्यादेश सं0-113 दिनांक-14.02.2015 द्वारा नगर परिषद, छपरा सम्प्रति नगर निगम, छपरा को सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु कुल राशि 69.66650 लाख आवंटित की गयी थी ।

नगर आयुक्त, छपरा नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि छपरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण राशि वापस कर दी गयी है ।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रिविलगंज का पत्रांक-951 दिनांक-13.07.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु कुल 11 डी0 भूमि उपलब्ध है ।

उक्त स्थल पर सम्राट अशोक भवन निर्माण कराया जा सकेगा ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में एक जगह जमीन की उपलब्धता है और दूसरी जगह राशि की उपलब्धता है । फिर भी सम्राट अशोक भवन नहीं बना है, इसका कारण क्या है, माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें ?

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : महोदय, इसके लिए जो राशि भेजी गयी थी, राशि भेजने के बावजूद छपरा नगर निगम में प्रतिवेदित किया कि इनके पास जमीन उपलब्ध नहीं है, इस कारण वहां से राशि वापस आयी । दूसरा माननीय सदस्य नगर पंचायत, रिविलगंज की बात की है, इसके लिए हमने जमीन की उपलब्धता की बात की, विभाग ने नगर पंचायत, रिविलगंज को 11 डिसमिल जमीन उपलब्धता की बात की है, अब तुरंत इसकी राशि उपलब्ध करा दी जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

टर्न-6/शंभु/25.07.24

<u>तारांकित प्रश्न सं0-441(श्री जिवेश कुमार)क्षेत्र सं0-87,जाले</u>

(लिखित उत्तर)

श्रीमती रेणु देवी,मंत्री : महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न बैंकों द्वारा गव्य विकास निदेशालय द्वारा क्रियान्वयन योजना में प्रेषित आवेदन पत्रों के विरूद्ध 20.69 प्रतिशत ऋण स्वीकृत की गयी है एवं मत्स्य पालकों को ऋण मुहैया कराने हेतु कुल 803 आवेदन विभिन्न बैंकों को प्रेषित किये गये हैं जिसके आलोक में राज्य के बैंकों द्वारा अब तक 30 आवेदकों को ऋण की राशि विमुक्त की गयी है, जो कुल प्रेषित आवेदनों का 3.74 प्रतिशत है । राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की आयोजित बैठकों में लंबित आवेदन पत्रों की सूची उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभागीय पदाधिकारी बैंक अधिकारियों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क में रहते हैं । साथ ही राज्य के मत्स्य पालकों को सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने हेतु राज्य अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के अवयवों का वित्तमान का निर्धारण किया

गया है । राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के माध्यम से सभी बैंकों को ऋण मुहैया करने हेतु आवश्यक दिशा निदेश दिये जाते रहे हैं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए जिवेश जी ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूरक ही पूछ रहा हूँ । सरकार ने खुद ही स्वीकारा है कि पशुपालन गव्य विकास निदेशालय के क्रियान्वयन में प्रेषित आवेदन पत्रों के विरूद्ध सरकार ने केवल 20.69 प्रतिशत ही लक्ष्य प्राप्त किया है और दूसरी तरफ सरकार ने कबूला है कि जो मछली पालन है उसमें जो प्राप्त आवेदन है उसके विरूद्ध 3.74 प्रतिशत ही लक्ष्य को प्राप्त किया है तो मेरा पूरक सवाल है कि इतने कम प्रतिशत में लक्ष्य प्राप्ति है सरकार का तो क्या बैंक के रवैया पर सरकार कोई नियमन लाना चाहती है या नहीं चाहती है ?

श्रीमती रेणु देवी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । गव्य निदेशालय द्वारा क्रियान्वयन योजना के प्रति इन्होंने जो कहा है वह सही है । इसमें मेन आता है कि जो वित्त विभाग है उसमें 1 लाख 60 हजार रूपया ही ऋण देने की स्वीकृति है, लेकिन 1 लाख 60 हजार से उपर जब आता है तो उस समय मोर्गेज करना पड़ता है और लोग मोर्गेज करना नहीं चाहते हैं । इसीलिए इसकी संख्या कम हो जाती है ।

श्री जिवेश कुमार : हुजूर, मैंने स्पष्ट किया है कि इसपर सरकार कोई नियमन लाना चाहती है कि नहीं- सरकार समस्या बता रही है और सरकार से मैंने समाधान पूछा है । सरकार समस्या बता रही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार कीजिएगा ।

श्रीमती रेणु देवी,मंत्री : जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-442(श्रीमती रेखा देवी)क्षेत्र सं0-189,मसौढ़ी

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-443(डा0 सुनील कुमार)क्षेत्र सं0-172,बिहारशरीफ

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-444(श्री वीरेन्द्र सिंह)क्षेत्र सं0-234,वजीरगंज

(लिखित उत्तर)

श्री नीरज कुमार सिंह,मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया अन्तर्गत मानपुर प्रखंड में कुल 69 अदद वार्डों में 78 अदद योजना नलजल का कार्य

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया गया है जिसमें 39 अदद वार्ड में योजना चालू है, 7 अदद वार्ड के योजना में बोरिंग फेल है तथा 23 अदद वार्ड के योजना में संवेदक दोष (संवेदक की मृत्यु) के कारण बंद है, संबंधित संवेदक का एकरारनामा विखंडन करते हुए कालीसूची में डालने एवं अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु अंतिम मापी लेते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : महोदय, जवाब मेरे हाथ में है और आपका संरक्षण चाहिए । जो जवाब मिला है उसमें मानपुर प्रखंड में जिस वार्ड में ये लिखे हैं कि योजना चालू है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : महोदय, मेरे मानपुर के 12 पंचायत में एक भी योजना चालू नहीं है मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि ये समय सीमा निर्धारित करें और निर्धारित करके अपने से मंत्री महोदय चलकर देख लें कि यह योजना चालू है कि नहीं ।

अध्यक्ष : आप दोनों आदमी बतिया लेते आपस में क्यों यहां आ गये ।

श्री नीरज कुमार सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विस्तार से जवाब दिया हुआ है । जहां गड़बड़ी हुई है वहां संवेदक पर कार्रवाई की गयी है और संवेदक का डेथ भी हो गया है, काली सूची में डाल भी दिया गया है और अंतिम मापी भी ले लिया गया है । अब उसे निविदा में भेज रहे हैं और निविदा में चला जायेगा तो ससमय उसे पूरा कर लिया जायेगा । वैसे विशेष तौर पर माननीय सदस्य को लगता है कि यहां चालू करना अतिआवश्यक है तो आप हमें लिखकर दे दें एक सप्ताह के अंदर चालू करायेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अरे बात कर लीजिएगा ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : एक मिनट अध्यक्ष महोदय, एक भी चालू नहीं है ।

अध्यक्ष : हो तो गया बात कर लीजिएगा ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : चुनौती दे रहा हूँ मंत्री महोदय को एक भी चालू नहीं है ये अपने से देख लें ।

अध्यक्ष : चुनौती की जरूरत नहीं है । वीरेन्द्र जी, लिखकर दे दीजिए केवल ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अपने वे चलकर देख लें और कब चलेंगे मंत्री महोदय समय सीमा बता दें ।

अध्यक्ष : भोजन का इंतजाम कीजिए तो जायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-445(श्रीमती नीतू कुमारी)क्षेत्र सं0-236,हिसुआ</u>

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-446(श्री शिव प्रकाश रंजन)क्षेत्र सं0-195,अगिआंव</u>

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

अध्यक्ष : अरे भाई, पहली बार क्वेश्चन आया है शिव प्रकाश जी । शिव प्रकाश रंजन जी, पहली बार आपका क्वेश्चन आया, पहली बार विधायक बने हैं आप बताइये ।

तारांकित प्रश्न सं0-447(श्री छोटे लाल राय)क्षेत्र सं0-121,परसा

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-448(श्री दामोदर रावत)क्षेत्र सं0-242,झाझा

(लिखित उत्तर)

श्री नीतीन नवीन,मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगर परिषद्, झाझा को षष्ठम राज्य वित्त आयोग मद अन्तर्गत कुल 596. 49762 लाख रूपये तथा 15वें वित्त आयोग मद अन्तर्गत कुल 291.62628 लाख रूपये मात्र आवंटित किया गया है जिसमें आर0सी0सी0 नाला निर्माण कराने का भी प्रावधान है । उक्त के क्रम में नगर परिषद् झाझा द्वारा प्रश्नगत नाला के निर्माण का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है । उक्त नाला का निर्माण कराने का प्रस्ताव नगर परिषद् झाझा के बोर्ड द्वारा पारित किया जाता है तो निर्धारित प्राथमिकता एवं उपलब्ध राशि के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन नगर परिषद् झाझा द्वारा कराया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : दामोदर जी, पूरक पूछिए उत्तर संलग्न है ।

श्री दामोदर रावत : माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है और जिस विषय के लिए हमने क्वेश्चन किया है उसकी आवश्यकता को इन्होंने महसूस किया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर नगर परिषद् झाझा से बोर्ड द्वारा पारित करा दिया जाता है तो उसके बाद हम इसका निर्माण करा पायेंगे तो क्या माननीय मंत्री जी बोर्ड से पारित कराने की कोई व्यवस्था आप करेंगे ?

श्री नीतीन नवीन,मंत्री : वे इसी बोर्ड के सदस्य होते हैं तो वे तो निश्चित रूप से वहां से योजना को पारित करायेंगे लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना भी शुरू की गयी है उसके लिए भी करीब 500 करोड़ का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में किया गया है उससे भी माननीय सदस्य इस योजना को ले सकते हैं और योजना के प्रारंभ में 500 करोड़ इस वर्ष में और तिगुने की राशि की योजना को हमलोग ले सकते हैं तो 1500 करोड़ की योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के संरक्षण में हुआ है । मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य उससे भी ले सकते हैं और बोर्ड के

सदस्य माननीय सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा जब पारित होकर आयेगा तो विभाग इसपर विचार करेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का जिक्र किया आपने उसके क्या नियम बनाये हैं आपने, क्या प्रोसेस होगा, चयन की क्या पद्धति होगी इसका जो सरकुलर है वह सभी माननीय सदस्यों को भेजवा दीजिए ताकि उनको इसकी पूरी जानकारी हो सके ।

श्री नीतीन नवीन,मंत्री : जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-449(श्री जितेन्द्र कुमार)क्षेत्र सं0-171,अस्थावां

(लिखित उत्तर)

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : महोदय, आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक है । बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0 तथा सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ई-स्टाम्प एवं ई-कोर्ट फीस स्टाम्प बिक्री पर कमीशन की राशि ई-स्टाम्प की बिक्री मूल्य की संगहित राशि का 0.05 प्रतिशत न्यूनतम 5 रूपये तथा अधिकतम 200 रूपये एवं ई-कोर्ट फीस में 0.05 पैसे प्रति टिकट थी । जिससे कुछ काउंटर पर हानि हो रही थी । परन्तु इसके बाद बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन के पत्रांक 539, दिनांक 29.01.2024 द्वारा पूर्व से देय कमीशन की राशि में दिनांक 01.02.2024 के प्रभाव से बढ़ोत्तरी की गयी जो इस प्रकार है । ई-स्टाम्प की बिक्री मूल्य की संग्रहित राशि का 0.50 प्रतिशत न्यूनतम 5 रूपये तथा अधिकतम 500 रूपये, ई-कोर्ट फीस बिक्री मूल्य की संग्रहित राशि का 0.5 प्रतिशत । स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाजार में वेंडर की कमीशन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का है । मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार पटना से संबंधित है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर आया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिए, बैठिए आप । आप बैठिए, लोग इनका चरित्र देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं आप बैठे रहिये आराम से ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, जो उत्तर आया है वह दोहरी नीति से जुड़ा हुआ है- स्टेट बैंक से कमीशन नहीं लिया जाता है और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से कमीशन लिया जाता है जिससे जिला को-ऑपरेटिव बैंक का जो काउंटर है अधिकांश घाटे में है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री जितेन्द्र कुमार : वही अधिकांश घाटे में है तो क्या इसमें एकरूपता लाने का विचार सरकार रखती है ?

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : महोदय, सरकार विचार करेगी ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, कब तक विचार करेगी ? ये को-ऑपरेटिव का मामला है ।

अध्यक्ष : जल्द ही करेगी । आपकी बात पर विचार करेगी सरकार ।

तारांकित प्रश्न सं0-450(श्री विनय कुमार)क्षेत्र सं0-225,गुरूआ

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-451(श्री नारायण प्रसाद)क्षेत्र सं0-6,नौतन

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-452(डा0 निक्की हेम्ब्रम)क्षेत्र सं0-162,कटोरिया

(लिखित उत्तर)

श्री नीतीन नवीन,मंत्री : 1-स्वीकारात्मक है ।

2-आंशिक स्वीकारात्मक है । बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के आलोक में नगर निकायों के लिए निर्धारित मानकों के आधार पर नये नगर निकायों का गठन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक 1713, दिनांक 14.05.2020 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया था । इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा सभी जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिले में गठित कमिटी द्वारा समीक्षा कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया था । इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा नगर परिषद्, दानापुर निजामत को उत्क्रमित करते हुए नगर निगम का दर्जा देने संबंधी कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है । सम्प्रति विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है ।

3-उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए जवाब दिया गया है ।

डा0 निक्की हेम्ब्रम : माननीय मंत्री जी के उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : लोग देख रहे हैं कि कौन नियम के अनुसार चल रहा है और कौन नियम के विपरीत चल रहा है, सब देख रहे हैं लोग ।

तारांकित प्रश्न सं0-453(श्री गोपाल रविदास)क्षेत्र सं0-188,फुलवारी

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-454(श्री ललन कुमार)क्षेत्र सं0-154,पीरपैंती

(लिखित उत्तर)

श्री नीरज कुमार सिंह,मंत्री : महोदय, अस्वीकारात्मक है । भागलपुर पी0एच0इ0डी0 अन्तर्गत पीरपैंती प्रखंड में कुल 187 वार्ड एवं कहलगांव प्रखंड में कुल 230 वार्ड है, जो हर घर नल का जल योजना सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है । परन्तु पीरपैंती प्रखंड में कुल 31 वार्ड एवं कहलगांव प्रखंड में कुल 57 वार्ड छूटे हुए टोलों के लिए योजना की स्वीकृति प्राप्त है एवं वर्तमान में निविदा प्रक्रिया में है । निविदा निस्तारोपरान्त प्राथमिकता के आधार पर इस वार्ड का कार्य करा लिया जायेगा । पंचायती राज विभाग अन्तर्गत पीरपैंती प्रखंड में कुल 189 वार्ड एवं कहलगांव प्रखंड में कुल 159 वार्ड का हर घर नल का जल योजना का कार्य कराया गया है । जिसे वर्तमान में ऐज इज वेयर इज बेसिस पर पंचायती राज विभाग से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा हस्तांतरित कर ली गयी है । परन्तु पीरपैंती प्रखंड में कुल 189 वार्ड में से 80 बंद थ, जिसमें 74 वार्ड का मरम्मति कराकर जलापूर्ति सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया है एवं शेष 6 बोर फेल होने के कारण वृहद मरम्मति हेतु निविदा प्रक्रिया में है । कहलगांव प्रखंड में कुल 159 वार्ड में से 48 बंद था जिसमें 45 वार्ड का मरम्मति कराकर जलापूर्ति सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया है एवं शेष 03 अदद बोर फेल होने के कारण वृहद मरम्मति हेतु निविदा प्रक्रिया में है । भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड में दिनांक 01.03.2024 से अब तक 360 चापाकल एवं कहलगांव प्रखंड में 322 चापाकलों का मरम्मति करा दिया गया है । वर्तमान में बंद चापाकल की शिकायत प्राप्त होते ही चापाकल मरम्मति दल को सूचित कर मरम्मति करने हेतु भेज दिया जाता है । वर्तमान में जिला अन्तर्गत पीरपैंती प्रखंड में औसत जल स्तर 29,1 एवं कहलगांव प्रखंड में औसत जल स्तर 29,11 है । भूजल स्तर से संबंधित कोई समस्या नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री ललन कुमार : महोदय, पूरक ये है कि हमने मंत्री जी से कहा था कि नलजल से काम नहीं चल रहा है, बहुत अधूरा है तो हमने चापाकल लगवाने का, हेंडपंप लगवाने का बात किया था तो इन्होंने हेंडपंप लगवाने का कोई जवाब नहीं दिया है तो हम चाहते हैं कि स्पष्ट जवाब दें कि हेंडपंप लगवाना चाहते हैं कि नहीं ?

श्री नीरज कुमार सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में हर जगह नलजल की योजना है और जहां नलजल की योजना अभी नहीं है वहां हमलोग नलजल का पानी पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर नल का जल पहुंचे उसके

लिए हमलोग संकल्पित हैं और जहां विशेष परिस्थिति में नल का जल नहीं जा रहा है वहां हमलोग चापाकल लगा रहे हैं, अगर माननीय सदस्य का विशेष कोई स्पेशल जगह होगा तो लिखकर दे देंगे हम लगाने का प्रयास करेंगे ।

श्री ललन कुमार : माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-455(डा0 निक्की हेम्ब्रम)क्षेत्र सं0-162,कटोरिया

(लिखित उत्तर)

श्री नितिन नवीन, मंत्री : 1. आंशिक स्वीकारात्मक ।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बौंसी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत तीनों तालाबों के स्वामित्व की स्थिति ज्ञात करने हेतु कार्यालय के पत्रंक-306, दिनांक-11.07.2024 द्वारा अंचलाधिकारी, बौंसी से प्रतिवेदन की मांग की गई है।

वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगर पंचायत, बौंसी को षष्ठम राज्य वित्त आयोग मद अंतर्गत कुल रू0-598.68874 लाख (पांच करोड़ अंठानवे लाख अड़सठ हजार आठ सौ चौहत्तर रू0) तथा 15वें वित्त आयोग मद अंतर्गत कुल रू0 281.98216 लाख (दो करोड़ एकासी लाख अंठानवे हजार दो सौ सोलह रू0) मात्र आवंटित किया गया है । जिसमें तालाब/बांधा का सौंदर्यीकरण कराने का भी प्रावधान है।

तदनुसार यदि नगर पंचायत, बौंसी के बोर्ड द्वारा प्रश्नगत तालाब /बांध का सौंदर्यीकरण कराने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो निर्धारित प्राथमिकता एवं उपलब्ध राशि के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन नगर पंचायत, बौंसी द्वारा कराया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

डा0 निक्की हेम्ब्रम : माननीय मंत्री जी से मैं समय सीमा की जानकारी लेना चाहती हूँ ।

श्री नीतीन नवीन,मंत्री : सवाल के जवाब में जो उत्तर दिया है उसमें स्पष्ट है कि नगर पंचायत बौंसी को राशि उपलब्ध है और उस राशि से उसका कार्यान्वयन हो सकता है । साथ ही साथ मैंने जो पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अन्तर्गत माननीय सदस्यों को अधिकार हो गया कि अपने क्षेत्र की योजनाओं का चयन करने का तो उस योजना के अन्तर्गत भी माननीय सदस्या अपनी योजना ले सकती हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य को अधिकार की जानकारी नहीं है इसलिए उपलब्ध करा दीजिए ।

श्री नीतीन नवीन,मंत्री : महोदय, मैं इसका सर्कुलर जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा और अगस्त महीने के लास्ट में सभी जिलों में जो जिला संचालन समिति होगी उसकी बैठक प्रारंभ हो जायेगी ।

डा0 निक्की हेम्ब्रम : धन्यवाद मंत्री जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-456(श्री अजीत कुमार सिंह)क्षेत्र सं0-201,डुमरांव

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-457(श्री प्रहलाद यादव)क्षेत्र सं0-167,सूर्यगढ़ा

(लिखित उत्तर)

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री : 1- अस्वीकारात्मक।

2- प्रखंड-सूर्यगढ़ा की दो पंचायतों-उरैन एवं बुधौलीबंकर पंचायतों के 11-11 कुल 22 अदद वार्डों में पेय जलापूर्ति हेतु बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना बुधौलीबंकर का निर्माण कराया गया है ।

3-एकरारनामा के अनुसार 22 वार्डों के 4925 गृहों में गृह जल संयोजन के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है ।

4-योजना का कार्यान्वयन सरकारी निदेशालोक में BIS मानकों के अनुसार कराया गया है।

5-योजना Trial & Run में चालू है।

कंडिका-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए प्रहलाद जी ।

श्री प्रहलाद यादव : जो जवाब आया है अध्यक्ष महोदय, वह जवाब सही ढंग से नहीं दिया गया है । अभी भी जो पाइप लाइन बिछाया गया है बहुत से टोलों में, बहुत से वार्ड में आज भी पानी नहीं जा रहा है और मानक के अनुसार काम भी नहीं हुआ है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो मानक के अनुसार काम नहीं हुआ है और टोला में जहां पानी जाना था वह पानी नहीं जा रहा हैं इसके लिए क्या करना चाहते हैं ?

श्री नीरज कुमार सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अलग से भी लिखकर दे देंगे तो जहां नहीं पहुंचा है उसको हमलोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे, वैसे जहां भी गड़बड़ी है वहां हमलोग जॉच करने का प्रयास कर रहे हैं ।

टर्न-7/पुलकित/25.07.2024

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए)

माननीय सदस्यगण, आज सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन एवं समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाने हैं, उन्हें मैं पहले रखता हूँ और शेष निर्धारित कार्य इसके बाद लिये जायेंगे ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के ''अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन'' एवं ''स्थानीय सरकार पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन'' तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के ''राज्य के वित्त'' प्रतिवेदन को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूँ ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-238 एवं 211 के उपबंध के अनुसार क्रमशः लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के ''अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन'' एवं ''स्थानीय सरकार पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन'' तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के ''राज्य के वित्त'' प्रतिवेदन को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के ''अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन''

एवं ''स्थानीय सरकार पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन'' तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के ''राज्य के वित्त'' प्रतिवेदन को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति ।

(अनुपस्थित)

माननीय सभापति, अल्पसंख्यक कल्याण समिति ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्यगण, अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 जुलाई, 2024 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

श्री शकील अहमद खाँ, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री महबूब आलम, श्री सत्यदेव राम, डॉ0 सत्येन्द्र यादव, श्री विजेन्द्र चौधरी, श्री रामानुज प्रसाद, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री मुकेश कुमार यादव ।

श्री अजीत शर्मा ।

श्री राजेश कुमार, श्री अरूण सिंह एवं श्री अजय कुमार सिंह । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, मतदान, सरकार के उत्तर तथा बिहार विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अत: बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-176(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

यह बड़ी गंभीर बात है, कार्य-स्थगन की सूचना देने वाले सदस्य गायब रहते हैं, जिस समय कार्य-स्थगन की सूचना पढ़ी जा रही है, उसमें जिन्होंने सूचना दी है जब वही नहीं है तो उनकी कैसी गंभीरता है इस विषय पर यह परिलक्षित होता है ।

माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शून्यकाल

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती भागीरथी देवी, अब रसोई गैस के विषय का जो शून्यकाल है, उसे पढ़िये ।

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष जी कागज हमारे पास दो दिन से नहीं पहुंच रहा है । जिसकी वजह से मैं समझ नहीं पा रही कि अब शून्यकाल आ गया ।

अध्यक्ष : वही गैस के विषय वाला जो आपका शून्यकाल है उसे पढ़ दीजिए ।

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखण्ड गौनाहा थारू जनजाति बाहुल क्षेत्र है, जहां हर घर रसोई गैस से लाभान्वित नहीं है ।

सरकार से मांग करती हूं कि हाथ से चुनी हुई झरता-परता लकड़ी चुनने का आदेश दिया जाए ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री मुकेश कुमार यादव ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद अनजार नईमी ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री राणा रणधीर ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पकड़ीदयाल प्रखण्ड के नवादा पंचायत के शेखपुरवा बाजार चौक के आस-पास आये दिन लूट, हत्या, चोरी, रंगदारी आदि आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं ।

अत: शेखपुरवा बाजार चौक पर पुलिस टी0ओ0पी0 निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री अजीत कुमार सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री मुरारी मोहन झा ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा अंतर्गत आने वाले सभी शमशान घाट में शेड निर्माण, मिट्टी भराई, चहारदीवारी निर्माण एवं समरसेबुल गढ़ाई राज्य सरकार अपने मद से केवटी विधानसभा अंतर्गत आने वाले सभी शमशान घाटों का जीर्णोद्धार कराये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र प्रसाद ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट बाजार स्थित एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं रहने के कारण यहां के व्यवसायियों एवं आमलोगों को बैंक संबंधित कार्य करने में काफी परेशानी होती है ।

अत: मैं सरकार से हायाघाट बाजार में राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा खोलने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री महानंद सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री राम सिंह ।

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिला के बगहा-1 प्रखण्ड से 24 पंचायत एवं बगहा नगर परिषद् के 21 वार्ड है, जो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है ।

अतः बगहा–1 प्रखण्ड को विभाजित कर परसौनी फार्म प्रखण्ड कार्यालय के रूप में स्थापित करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री इजहारूल हुसैन ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री उमाकांत सिंह ।

श्री उमाकांत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जमीन महारानी जानकी कुंवर द्वारा दान में दी गयी थी । मैं सरकार से जी0एम0सी0एच0 का नाम बदलकर पुनः महारानी जानकी कुंवर कॉलेज एवं अस्पताल करने की मांग करता हूँ ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मोतीपुर शिवहर पथ में पूर्वी चम्पारण जिला के सीमा पर अंजनाकोट में बूढ़ी गण्डक नदी पर अवस्थित पुल के टूटे एप्रोच पथ का शीघ्र निर्माण करावें ।

अध्यक्ष : श्री विनय कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री अरूण कुमार सिंह ।

श्री अरूण कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बरूराज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मपुरा कर्मण पंचायत में राजकीयकृत सरजू उपाध्याय उच्च विद्यालय की रसूलपुर चौक पर लगभग दो एकड़ भूमि उपलब्ध है, जो उक्त भूमि विद्यालय की है ।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त भूमि पर स्टेडियम का निर्माण कराया जाए ।

श्री आलोक रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, कहरा प्रखंड के मुरलीवसंतपुर वार्ड 08 के लोगों का 2011 की जनगणना एवं राशनकार्ड में उनका नाम सत्तरकटैया प्रखंड में दर्ज हो गया । जिससे उन लोगों को सरकारी लाभ नहीं मिलता है ।

मैं सरकार से इनका राशनकार्ड सत्तरकटैया से कहरा प्रखंड कराने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्रखण्ड में अवस्थित सिलानाथ महादेव मंदिर परिसर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भारत–नेपाल से लाखों श्रद्धालु कमला नदी में स्नान कर दर्शन–पूजन करते हैं ।

अंतराष्ट्रीय महत्व के महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल में शामिल करने की मांग सरकार से करता हूँ ।

टर्न-8/हेमन्त/25.07.2024

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अन्तर्गत सत्ती चौरा गांव में अज्ञात अपराधियों ने दिनांक-22.07.2024 को देर रात्रि मो0 साबिर एवं उनके पुत्र मो0 अरमान को पेट्रोल छिटकर जला दिया जिससे पिता की मौत हो गयी है और बेटा जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है ।

अत: मैं अपराधियों की गिरफ्तारी एवं पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री अरूण सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री अमरजीत कुशवाहा ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री जय प्रकाश यादव ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड के बीचो-बीच गुजरने वाली 17 नंबर रोड रामपुर से बेलसंडी जर्जर होकर गड्ढा में तब्दील हो गयी है इसके शीघ्र निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज अनुमंडल के नगर परिषद् फारबिसगंज एवं नगर परिषद् जोगबनी के शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन घंटों जाम की समस्या बनी रहती है जिससे पूरा शहर अस्त-व्यस्त रहता है । जाम की समस्या के निदान हेतु अनुमंडल स्तर पर ट्रैफिक पुलिस थाना स्थापना की मांग सदन से करता हूं।

अध्यक्ष : श्री रामबली सिंह यादव ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री संदीप सौरभ ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री सुनील मणि तिवारी ।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, राज्य में वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रतिमाह मात्र 400 रुपया है । इतनी कम राशि में उन्हें जीवन यापन करना मुश्किल होता है । जबकि अन्य राज्यों में यह राशि 2000 रुपये तक है ।

अतः अन्य राज्यों की तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धि कर प्रतिमाह 2000 रुपया करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो, तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी।

(व्यवधान)

क्या हुआ ? बताइये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती महागठबंधन की सरकार द्वारा नगर विकास विभाग के पत्रांक-5509, दिनांक- 26.02.2023 की अधिसूचना के आलोक में राज्य के गैर आवासीय कर में 50 से 300 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी । महोदय, एकसाथ इतनी वृद्धि करना जनहित में कहीं से भी उचित नहीं है । अध्यक्ष महोदय, सरकार से उक्त अधिसूचना वापस लेने की मांग करता हूं । अध्यक्ष महोदय, हाहाकार मचा हुआ है । महागठबंधन की सरकार ने, तेजस्वी यादव की सरकार ने 50 से 300 प्रतिशत बढ़ा दिया ।

अध्यक्ष : आपकी बात माननीय मंत्री जी से हो गयी है, मुझे मालूम है । बैठिये ।

मोती लाल जी अपनी सूचना को पढ़ें । आप बैठ जाइये ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

श्री मोती लाल प्रसाद, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (गन्ना उद्योग विभाग) की ओर से वक्तव्य

अध्यक्ष : मोती लाल जी, माईक पर पढ़िये । आवाज नहीं आ रही है आपकी ।

श्री मोती लाल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा चीनी मिल विगत 3 वर्षों से बंद रहने के कारण मिल के पोषक क्षेत्र के 40,000 से अधिक किसान, गन्ना उत्पादन होने के बावजूद कम भाव में बेचने के लिए विवश हैं जिससे किसानों की माली हालत दयनीय हो गयी है । चीनी मिल बंद रहने से वहां के मजदूर भी बेरोजगार हो गए हैं जिससे आम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं ।

अतः अविलम्ब बंद पड़े रीगा चीनी मिल को चालू कराने हेतु मैं सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग ।

श्री कृष्णनंदन पासवान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मेसर्स रीगा शुगर कंपनी लिमिटेड, रीगा सीतामढ़ी की निजी क्षेत्र की चीनी मिल है । रीगा चीनी मिल की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाने के कारण पेराई सत्र 2019-20 के परिचालन के पश्चात् गन्ना चीनी मिल बंद पड़ी हुई है । रीगा चीनी मिल के क्षेत्र के किसानों के गन्ने का सामायिक निष्पादन हेतु अन्य कार्यरत चीनी मिलों को रीगा चीनी मिल के क्रय केंद्र स्थापित कर गन्ने का उठाव सुनिश्चित कराया गया है । साथ ही, निर्धारित दर पर ईंख मूल्य का भुगतान संबंधित किसानों को किया गया है । पेराई सत्र 2021 और 2022-23 का रीगा चीनी मिल परिक्षेत्र के गन्ना उठाव हेतु सरकार द्वारा परिवहन अनुदान मद में गन्ना कृषकों को संबंधित चीनी मिल को कुल 10,30,00000/- रुपये का भुगतान किया गया है । साथ ही, पेराई सत्र 2023-24 में भी निर्धारित दर पर रीगा क्षेत्र के गन्ना कृषकों का लगभग संपूर्ण ईंख मूल्य का भुगतान कर दिया गया है एवं संबंधित चीनी मिल से प्राप्त परिवहन अनुदान के दावा का भी भुगतान विभाग द्वारा किया जा रहा है । विभागीय संकल्प संख्या-45, दिनांक- 12.01.2024 के माध्यम से मेसर्स रीगा शुगर कंपनी लिमिटेड, रीगा सीतामढ़ी का पुनः परिचालन के नियमित उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों, पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाया ईंख मूल्य भुगतान की पूर्ण राशि 51,30,91000 रुपये की मिल के पेराई वर्ष के सफल परिवहन के उपरांत किसानों को भुगतान करने का निर्णय लिया गया है । वर्तमान में रीगा चीनी मिल से संबंधित मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एन0सी0एल0टी0), कलकत्ता बेंच में प्रक्रियाधीन है । नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एन0सी0एल0टी0), कलकत्ता बेंच के द्वारा दिनांक- 11.04.2023 से संबंधित मामले में पारित परिसमापन के आदेश के विरुद्ध दिनांक- 26.05.2023 को विभाग द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एन0सी0एल0टी0), नई दिल्ली में अपील वाद दायर किया गया था जिसे एन0सी0एल0टी0, नई दिल्ली द्वारा दिनांक- 04.07.2024 को परिसमापन द्वारा ऑन गोइंग कॉमर्शियल रूप में ही निविदा आमंत्रित किये जाने के कारण निविदा निष्पादित कर दी गयी है । परिसमापन द्वारा रीगा चीनी मिल को पुनः चालू करने के अनियमित चौथी बार निविदा आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया की जा रही है ।

अध्यक्ष : विस्तार से सूचना दी गयी है मोती लाल जी ।

श्री मोती लाल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सरकार रीगा चीनी मिल को चालू कराना चाहती है कि नहीं ?

अध्यक्ष : जब वह बोल रहे थे, तो आप बात कर रहे थे । उन्होंने विस्तार से बताया कि वे लोग गये थे ट्रिब्यूनल कोर्ट कलकत्ता । वहां वह जीत गये । उसके खिलाफ ये लोग गये सेंट्रल वाले में, वहां टेंडर किये कई बार । अभी तुरंत जुलाई में टेंडर चौथी बार आया है और वह करेंगे । लगे हुए हैं ।

श्री मोती लाल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह की स्थिति सुगौली और लौरिया की थी, वह बंद पड़ा हुआ था । लेकिन सरकार ने पहल की.....

अध्यक्ष : रीगा चीनी मिल के बारे में सरकार लगातार प्रयास कर रही है ।

श्री मोती लाल प्रसाद : मैं तुलना कर रहा हूं ।

अध्यक्ष : नहीं, कैसे तुलना करियेगा ? आप कहीं और जोड़ दीजिएगा तो कैसे हो सकता है ? बात आप रीगा की करिये ।

श्री मोती लाल प्रसाद : मैं तुलना कर रहा हूं ।

अध्यक्ष : मत करिये तुलना, अपनी बात करिये । आपके विधान सभा क्षेत्र में है न रीगा ।

श्री मोती लाल प्रसाद : अपनी बात के संदर्भ में मैं बोल रहा हूं कि इसी तरह की स्थिति लौरिया और सुगौली चीनी मिल की थी, तो वहां सरकार ने पहल की, तो भारत सरकार का उपक्रम एस0पी0सी0एल0 ने उसको टेकअप किया और वह मिल अभी चल रहा है और दोनों जगह के किसान खुशहाल हैं । उसी पेटर्न पर रीगा चीनी मिल को सरकार चालू करवाये, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे ।

अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये ।

श्री मोती लाल प्रसाद : केंद्र सरकार भी इसी अनुकूल की सरकार है । इसलिए सरकार अगर पहल करेगी, तो एस0पी0सी0एल0 रीगा को भी ले सकती है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । सरकार आपके सुझाव पर भी ध्यान देगी । ठीक है ।

टर्न-9/धिरेन्द्र/25.07.2024

डॉ॰ रामानुज प्रसाद, श्री छोटे लाल राय एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ॰ रामानुज प्रसाद अपनी ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ें ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अब शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री गोपाल रविदास ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री महबूब आलम ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भारत भूषण मंडल ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री अचमित ऋषिदेव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड के नंदनपुर पंचायत, वार्ड नं॰-13, ग्राम-गोपालपुर में 300 से अधिक घर महादलितों का है लेकिन डेढ़ किलोमीटर के दायरे में कोई विद्यालय नहीं है । महादलित समुदाय के बच्चों में शिक्षा के प्रसार के लिए वहाँ प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की माँग मैं सरकार से करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सूर्यकान्त पासवान ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री मिश्री लाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के तारडीह प्रखण्ड अन्तर्गत नदियामी पंचायत के हरिहरपुर चौक से मल्लाह टोल तक वर्षों से सड़क जर्जर है, जिस कारण जन-जीवन प्रभावित है ।

अतः उक्त जर्जर सड़क निर्माण करने हेतु सरकार से माँग करता हूँ ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में पटवन कार्य हेतु हजारों किसानों द्वारा दिया गया विद्युत कनेक्शन का आवेदन विभाग में लंबित है । किसान हित में त्वरित कार्रवाई करते हुए शीघ्र कनेक्शन लगवाने की मांग मैं सदन के माध्यम से सरकार से करती हूँ ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए रोसड़ा अनुमंडल को पुलिस जिला बनवाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री प्रमोद कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के बीचो-बीच स्थित मोतिझिल पर प्रस्तावित एन॰एच॰-9-28 बरियारपुर छतौनी से श्री कृष्ण नगर एल॰एन॰डी॰ महाविद्यालय पथ निर्माण विभाग सड़क स्थित अस्पताल स्टेशन एन॰एच॰-9 बाईपास, वजरिया, वोभर फ्लाई पुल निर्माण निगम में लंबित है ।

अतः जाम की समस्या को ध्यान में रख कर पुल निर्माण करायी जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मो॰ इसराईल मंसूरी ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत जानीडीह (घोघा) बिजली सब स्टेशन तार चोरी के कारण पिछले 8 महीने से बंद है, दूसरे सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति में लो वोल्टेज की समस्या हो रही है ।

अतः उक्त पावर सब स्टेशन को पुनः चालू कराने की सरकार से मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, आई॰जी॰आई॰एम॰एस॰, पटना के अधीक्षक के कार्यकलाप के कारण गरीबों का इलाज नहीं हो पाता है । आई॰सी॰यू॰ में बेड रहने के बावजूद गरीबों को आई॰सी॰यू॰ में नहीं रखा जाता है ।

अतः आई॰जी॰आई॰एम॰एस॰ के अधीक्षक के कार्यकलाप की जाँच की माँग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया मुख्यालय में वर्ष 1987 में जिला परिषद् द्वारा निर्मित लगभग 130 दुकानों वाली बहुमंजिला बाजार मेंटेनेंस के अभाव में जर्जर है एवं ग्राहकों के लिए आधारभूत सुविधा की भी कमी है ।

अतः मैं सरकार से ग्राहकों की सुविधा हेतु जर्जर बहुमंजिला बाजार का जीर्णोद्धार कराने की माँग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य डॉ॰ रामानुज प्रसाद ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान)

आज सबको बोलने का मौका मिला है तो अपनी बात रखिये ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती एवं कहलगाँव प्रखंड के रानीदियरा, टपुआ तोफील अनढावन, एकचारी खवासपुर आदि स्थानों पर भीषण गंगा कटाव हो रहा है ।

अतः मैं सरकार से उक्त स्थानों पर कटाव रोधी कार्य तेजगति से प्रारंभ करने की माँग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के खरीक प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत उसमानपुर में कलबलिया धार है जहाँ हमेशा पानी बहता रहता है । इस धार पर पुलिया नहीं रहने से ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है ।

अतः उक्त स्थल पर पुलिया बनाने की सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री जिवेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक-02 अगस्त, 2023 को जाले प्रखण्ड स्थित राढ़ी पश्चिमी पंचायत के राढ़ी गाँव के वार्ड संख्या-06 निवासी श्री शत्रुध्न पासवान के 04 वर्षीय पुत्र ऋतिक कुमार की मौत पोखर में डूबने से हो गयी ।

अतः अविलम्ब मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान देने की माँग करता हूँ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/संगीता/25.07.2024

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति ।

श्री अजीत शर्मा, सभापति (प्रत्यायुक्त विधान समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत सप्तदश बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की भवन निर्माण विभाग से संबंधित सप्तम प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, अल्पसंख्यक कल्याण समिति ।

श्री शकील अहमद खाँ, सभापति (अल्पसंख्यक कल्याण समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत सप्तदश बिहार विधान सभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति की अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित द्वितीय प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों की कुल संख्या-45 है, आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । अत: किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान हो सकता है । मैं मांग संख्या-21, शिक्षा विभाग को लेता हूं, जिस पर वाद-विवाद तथा सरकार उत्तर एवं मतदान होगा। शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा किया जायेगा । इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :

भारतीय जनता पार्टी	-	59 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	-	58 मिनट

जनता दल यूनाइटेड	-	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	14 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0एल0)	-	08 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	02 मिनट
सी0पी0आई0(एम0)	-	02 मिनट
सी0पी0आई0	-	02 मिनट
ए0आई0एम0आई0एम0	-	01 मिनट
निर्दलीय	-	01 मिनट
कुल	-	180 मिनट

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''शिक्षा विभाग के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 10391,30,83,000/- (दस हजार तीन सौ इक्यानवे करोड़ तीस लाख तेरासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह, श्री महबूब आलम एवं श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो व्यापक है और जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री अजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के मांग के विरोध में कटौती प्रस्ताव मैंने दिया है जो 10/- से उसमें कटौती की जाय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पढ़िये । क्या हो रहा है, आप तो बहुत पढ़े-लिखे आदमी हैं ..

(व्यवधान)

वैसे पढ़ने-लिखने में तेज हैं,वैसा नहीं है। आज लगता है कुछ भूल गए हैं । ये जानकारी पूरा रखते हैं ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोल दीजिए न कि इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय, इतना तो बोलिए । बोलिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय । इतना ही बोलना है । बोलिए न अजय बाबू ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय ।"

यह तो पहले ही मैंने कह दिया था महोदय ।

अध्यक्ष : बोलिए, बोलिए । आप अपना विषय रखिए ।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह अनुपूरक बजट जो आया है तो अनुपूरक बजट के संबंध में संविधान का अनुच्छेद-205 जो कहता है उसके अनुरूप इसका पालन नहीं किया गया है । मूल बजट लगभग 52 हजार करोड़ रुपये का है और 10 हजार करोड़ रुपये से कुछ अधिक का है अनुपूरक । इतने भारी-भरकम बजट के बावजूद मूल बजट लगभग 18 दशमलव कुछ प्रतिशत मूल बजट का था और यह 23.6 प्रतिशत है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपने जो मूल बजट लाया था, उसमें खर्च हो गया ? अगर खर्च नहीं हुआ तो आगे क्या संभावनाएं रही हैं ? अगर 3-4 महीने पहले फरवरी महीने में मूल बजट लाया गया था तो उसमें आगे की जो संभावनाएं हैं चाहे जो आप एपॉयंटमेंट कर रहे हैं या और कोई काम हो तो ये उस समय जो डाटा प्लेस करना चाहिए था, इसका मतलब है कि जो डाटा रखने वाले लोग हैं कहीं न कहीं उनकी समझ जो है इस रास्ते कमजोर दिखाई देती है । महोदय, इतने बड़े बजट का मतलब होता है कि प्रदेश में शिक्षा के लिए लोग आश्वस्त हो जायें, टीचर आश्वस्त हों, विद्यार्थी आश्वस्त हों और उनके अभिभावक भी आश्वस्त हों लेकिन यह देखा जा रहा है कि न अभिभावक इस शिक्षा के प्रति संतुष्ट हैं, न शिक्षक संतुष्ट हैं, न विद्यार्थी संतुष्ट हैं । गांव-घर में साइकिलें लगी रहती हैं ट्यूशन पढ़ने वालों की और कम जानकारी वाले लोगों के यहां बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं और लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे वहां जाकर पढ़ेंगे । जिनके पास पैसा होता है वे थोड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं और जिनके पास पैसा पर्याप्त होता है वे बिहार से बाहर जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं । इस सदन में बैठे हुए जितने लोग हैं हमारे

माननीय सदस्यगण, इसमें 99.99 प्रतिशत सदस्य सरकारी स्कूल की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं । इतने लंबे-चौड़े बजट का क्या मतलब जब वह अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो इस परिस्थिति में मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि आप कम से कम गांव के लोगों की बात तो बाद में होगी इस सदन में बैठे हुए लोगों को तो संतुष्ट करायें कि आपके इस शिक्षा बजट से लोग संतुष्ट हैं । महोदय..

अध्यक्ष : केवल दो मिनट है आपके पास ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, दो ही मिनट है...

अध्यक्ष : दो मिनट और है आपके पास । बोलिए ।

(व्यवधान)

अजय बाबू बिना देखे हुए बोल सकते हैं । आप ऐसा मत कहिए ।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर शिक्षा की स्थिति बड़ी दयनीय है और सरकारी अहलकार जो हैं वे शिक्षा के संबंध में गंभीर नहीं हैं । एक स्कूल में आप कम्प्यूटर दे देते हैं कहते हैं कि कम्प्यूटर दे दिया, लैब दे दिया । आप कहते हैं कि स्मार्ट क्लास बना दिया, कम्प्यूटर दे दिया तो उसका ऑपरेटर कहां हैं, आप लेबोरेटरी दे दिए तो उसका लैब टेक्नीशियन कहां हैं, आप स्मार्ट क्लास बना दिये तो उसके स्मार्ट टीचर कहां हैं, यह सिर्फ कह देने से नहीं होगा ।

(क्रमशः)

टर्न-11/सुरज/25.07.2024

श्री अजय कुमार सिंह (क्रमशः): इस पर गंभीर होकर सरकार को सोचना चाहिये । शिक्षा की स्थिति कुछ दिन पहले एक अधिकारी आये थे, जिन्होंने...

अध्यक्ष : समाप्त करिये अब ।

श्री अजय कुमार सिंह : मैं उस अधिकारी का नाम नहीं ले रहा हूं...

अध्यक्ष : आपकी पार्टी ने जो आपको समय दिया है उसी समय सीमा में ही आपको बोलना है ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, हमारी पार्टी ने हमको समय दिया है 14 मिनट का ।

अध्यक्ष : तो ठीक है आप लिखकर दे दीजिये कि दूसरे मेंबर को नहीं बोलने देना है । मुझे क्या दिक्कत है । आपकी पार्टी का समय जो 14 मिनट है, आपने दो लोगों के बीच में 7-7 मिनट विभाजित किया है । 7 मिनट इनका हो गया ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, हमारे सचेतक महोदय ने कहा है कि पूरा समय ले लीजिये आप।

अध्यक्ष : बोल दें यहां, यहां बोलेंगे तब ना आपके बोलने से क्या होता है ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, दो मिनट और बढ़ा दीजिये ।

अध्यक्ष : दो मिनट । बोलिये जल्दी ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, इसलिये मैं अधिकारी की चर्चा कर रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं । जब आप इस तरफ थे तो आप भी उस अधिकारी के विरोध में बोलते थे और एक जल्ला स्कूल है, पता नहीं लोगों ने कहा कि अध्यक्ष महोदय के विधान सभा क्षेत्र में है और उसमें आपकी निगरानी बहुत अच्छी रहती है लेकिन जब वह अधिकारी आया तो वहां भी टीचर असंतुष्ट रहने लगे । तो मेरा यह कहना है कि शिक्षा के संबंध में सदन गंभीर हो और अभी-अभी कल से और आज तक जो चर्चायें चल रही थी कि 2015 में 1 लाख 25 हजार 03 करोड़ रुपया वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था । इसके लिये स्किल डेवलपमेंट में 15 सौ 50 करोड़ रुपया जिसका एक ईंटा नहीं रखा गया । कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि डंका बज गया । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डंका में जो गद होता है, वह गद ढ़ीला न हो जाये । महोदय, माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कहा कि काशी कोरिडोर के जैसा बोधगया, राजगीर सब मैं बनाऊंगी । महोदय, काशी कोरिडोर काशी मैं भी गया था...

अध्यक्ष : समाप्त करिये अब, हो गया ।

श्री अजय कुमार सिंह : उसका काम गुजरात की कंपनी ने किया और उसमें जो कारबार चल रहा है वह अमेरिकन कंपनी का चल रहा है । महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को सजग करना चाहता हूं कि चाहे वह बोधगया हो, चाहे वह विष्णुपद मंदिर हो, चाहे वह राजगीर का मामला हो कोरिडोर बनाने का काम गुजराती करेगा और अमेरिकन कंपनी को दे दिया जायेगा तो यह बड़ी विषम स्थिति हो जायेगी । जब मैं गया था काशी विश्वनाथ तो वहां के लोगों ने कहा कि बनारस...

अध्यक्ष : यही शिक्षा विभाग है अजय बाबू । बंद करिये आप, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, बनारस घराने का एक कजरी लोग गा रहे थे...

अध्यक्ष : बैठ जाइये, अपना स्थान ग्रहण कीजिये । श्री जिवेश कुमार ।

श्री अजय कुमार सिंह : कजरी गा रहे थे...

अध्यक्ष : बैठ जाइये, समय आपका हो गया । जिवेश जी आपका आज जन्मदिन है, आपको पूरे सदन की ओर से जन्मदिन की ढ़ेर सारी शुभकामनाएं ।

श्री जिवेश कुमार : बहुत-बहुत धन्यवाद हुजूर । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हालांकि मैं कुछ कहना नहीं चाहता था । मैं तो अजय बाबू की बात बड़ी गंभीरता से सुन रहा था लेकिन अचानक उन्होंने हमारे संबंध में भी हमारी किसी बात की तरफ इशारा किया है तो उस पर तो मैं बाद में कहूंगा । शिक्षा विभाग के संबंध में जो आपने कहा है उसका उत्तर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी देंगे । लेकिन एक बात जो आपने कही है वह पूरे सरकार के वित्तीय प्रक्रिया से संबंधित है इसलिये उसके संबंध में मैं जरूर बताना चाहता हूं । महोदय, इन्होंने अपना वक्तव्य प्रारंभ करते हुये ही कहा कि जो अनुपूरक बजट यानी आय-व्ययक का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद-205 में, ये हमलोगों ने जो अनुपूरक बजट दिया है ये उसके अनुरूप नहीं है । मैं समझ नहीं पाया क्योंकि संविधान के अनुच्छेद-205 में तो सिर्फ अनुपूरक बजट आय-व्ययक विभिन्न विभागों की जो अतिरिक्त मांगे हैं या कोई सामंजन है उसको लेकर सरकार की तरफ से सदन की स्वीकृति के लिये पेश किया जाता है उसमें तो सिर्फ प्रक्रियात्मक बात है तो उसमें तो कोई मापदंड तय नहीं है कि इस परिस्थिति में आयेगी, इस परिस्थिति में नहीं आयेगी । इसलिये यह तो प्रक्रियात्मक बात है और सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप और जिस अनुच्छेद-205 की चर्चा आपने की है, उसके पूर्ण रूप से अनुपालन में हमने अनुपूरक आय-व्ययक इस सदन में सरकार की तरफ से लाया गया है और हम सरकार की तरफ से चाहते हैं और यह कह दिये कि डंका बज रहा है । महोदय, डंके की आवाज अगर जबरदस्त नहीं थी तो इनके नेता, एम0पी0 दिल्ली में सड़क पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं ? बिहार को जो दिया गया है आखिर इन लोगों को जलन क्यों हो रही है ? अगर बिहार आगे बढ़ेगा तो इनकी परेशानी क्या है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये । जिवेश जी बोलिये ।

श्री जिवेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री शकील अहमद खां : महोदय, एक सेकेंड...

अध्यक्ष : बैठ जाइये न बाद में कहियेगा ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, शिक्षा विभाग के प्रथम अनुपूरक व्यय बजट 10391,30,83,000/- (दस हजार तीन सौ इक्यानवे करोड़ तीस लाख तेरासी हजार) के पक्ष में बोलने के लिये हुजूर मैं खड़ा हूं...

अध्यक्ष : केवल 10 मिनट का समय है जिवेश जी आपके पास ।

श्री जिवेश कुमार : सबसे पहले हुजूर कि बह रही है ज्ञान गंगा देखता संसार है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका जब समय आयेगा तो बोलियेगा ।

श्री जिवेश कुमार : आलोक बाबू सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : समय आयेगा तो बोलेंगे । इनकी पार्टी का समय आयेगा तो बोलेंगे ।

श्री जिवेश कुमार : बह रही है ज्ञान गंगा देखता संसार है, शिक्षा समृद्ध हो रही है यही आज का बिहार है । हुजूर, यही आज का बिहार है और इन लोगों को शिक्षा से कोई मतलब है । ये वही लोग हैं न हुजूर जो चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये ।

श्री जिवेश कुमार : इनको शिक्षा से कोई मतलब है । ये वही लोग हैं हुजूर....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री जिवेश कुमार : जो लाठी में तेल पिला रहे थे । हुजूर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री जिवेश कुमार : हुजूर, ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल पिला रहे थे । जब हमलोगों को अवसर मिला तो गरीब के बच्चों के कलम में स्याही भरने का काम हमलोगों ने किया । ये अंतर है एन0डी0ए0 और इनमें कि हम गरीब के बच्चों के कलम में स्याही भरने का काम किया...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, जब आपका मौका आयेगा तो समय मिलेगा । मिलेगा मौका बैठिये, मौका मिलेगा बैठिये ।

श्री जिवेश कुमार : आज बेटियां भी स्कूल जा रही हैं हुजूर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जी नहीं, मौका मिलेगा अभी है समय । हम देंगे आपको 4 मिनट समय है मेरे पास ।

श्री जिवेश कुमार : हुजूर, इनको धैर्य पूर्वक सुनना चाहिये । इनका अंतिम बजट जो श्रीमती राबड़ी देवी जी ने पेश किया था पूरे बिहार का ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मिलेगा समय भाई, देंगे समय ।

श्री जिवेश कुमार : हुजूर, 23 हजार 8 सौ करोड़ का बजट था । 23 हजार 8 सौ करोड़ का पूरा-पूरा बजट जो श्रीमती राबड़ी देवी जी ने पेश किया था, वह था । आज केवल शिक्षा विभाग का बजट...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ऐसे थोड़े होता है, समय मिलेगा । हम बोलने का अवसर देंगे लेकिन अभी बैठ जाइये।

श्री जिवेश कुमार : हुजूर इनको समझना चाहिये कि केवल शिक्षा विभाग का बजट 52 हजार 639 करोड़ का है, दोगुणा से ज्यादा । इनके टोटल बजट का ढ़ाई गुणा आज की एन0डी0ए0 सरकार केवल शिक्षा पर खर्च कर रही है हुजूर । इनको समझना चाहिये यह बात हुजूर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हम समय देंगे, बैठिये ।

श्री जिवेश कुमार : बजट के सात निश्चय में सात निश्चय-2 के लिये 5 हजार 40 करोड़ रुपया केवल स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड योजना के लिये 30 जनवरी, 2024 तक 47 सौ 66 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है हुजूर और इनको जानकर अच्छा लगना चाहिये कि 2 लाख 70 हजार 261 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत किया गया है हुजूर । इन लोगों को शिक्षा से तो कोई मतलब है नहीं । धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो बहुत सारी गंभीर विषयों पर चर्चा होगी । पक्ष-विपक्ष दोनों को सुनने से गंभीरता बनती है । (क्रमशः)

टर्न-12/राहुल/25.07.2024

श्री जिवेश कुमार (क्रमशः) : मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये । सरकार के समय में से बोल रहे थे । बैठिये ।

श्री जिवेश कुमार : हुजूर, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत इंटर पास...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कुछ नहीं, बैठिये ।

श्री जिवेश कुमार : न नेता, न नीति । इनका देख लीजिये हुजूर । हुजूर, इनके पास न नेता है, न नीति । मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 12 लाख 42 हजार 259

अविवाहित लड़कियों को 25 हजार प्रोत्साहन राशि इसी एन0डी0ए0 की सरकार ने देने का काम किया है और...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपके पास समय है, अवसर है, समय मिलेगा उसमें बोलियेगा, कहां कह रहे हैं नहीं मिलेगा, कहां कह रहे हैं कि नहीं बोलने देंगे । समय मिलेगा तब बोलियेगा । बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री जिवेश कुमार : 1 लाख 61 हजार लड़कियों को पचास-पचास हजार रुपया देने का काम इसी एन0डी0ए0 की सरकार ने किया है । इन लोगों को तो कोई मतलब है नहीं । बिहार की बेटियों के प्रति कितना असंवेदनशील हैं देख लीजिये हुजूर । हम तो डेटा रख रहे हैं कि बिहार के अंदर एन0डी0ए0 की सरकार ने क्या-क्या किया है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । बैठिये ।

श्री जिवेश कुमार : कुछ कमी पकड़कर के अपने समय में उनको अपनी बात रखनी चाहिए...

अध्यक्ष : पूरा समय मिलेगा आपको । जितना समय आवंटित है जरूर मिलेगा । कोई कमी नहीं होगी ।

श्री जिवेश कुमार : हुजूर, इनका मकसद तो हंगामा खड़ा करना है, काम तो करना नहीं है । अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रति एन0डी0ए0 की सरकार...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : समय जितना निर्धारित है मिलेगा । समय क्यों कटेगा, जरूर मिलेगा ।

श्री जिवेश कुमार : इसी एन0डी0ए0 की सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं...

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ।

श्री जिवेश कुमार : पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लायी जिसमें बी0पी0एस0सी0 के पी0टी0 पास करने पर...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : कोई बात नहीं सुनी जायेगी । अपने स्थान पर जाइये ।

श्री जिवेश कुमार : 50 हजार रुपया और यू0पी0एस0सी0 का पी0टी0 पास करने पर एक लाख रुपया और इसका लाभ अभी तक...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर जाइये ।

श्री जिवेश कुमार : 4,113 अनुसूचित जाति के विद्यार्थी इस योजना का लाभ बिहार के अंदर ले चुके हैं और पिछड़ा वर्ग के 5,915 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं । हुजूर, इसके साथ-साथ सरकार से हमारा एक आग्रह है कि...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : जो समय आवंटित है वह जरूर मिलेगा, अवसर मिलेगा लेकिन अपने स्थान पर जाइये। वेल में आकर के कहियेगा, दबाव डालकर कहियेगा तो नहीं होगा । समय मिलेगा ।

श्री जिवेश कुमार : आप गरीब को भी इसके अंदर लाइये । ई0डब्लू0एस0 के अंतर्गत आने वाले सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं आप उनको भी इस योजना का लाभ दीजिये...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : जो आवंटित समय है जरूर मिलेगा । बैठिये । अपने स्थान पर बैठिये । बोलिये आप, जारी रखिये ।

श्री जिवेश कुमार : यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है हुजूर । इन लोगों को तो इससे मतलब है नहीं । ये वाकआउट करने के मूड में हैं तो यह जो विषय है इतना महत्वपूर्ण विषय है सर कि अभी जो जातिगत सर्वे कराया गया...

(व्यवधान जारी)

हुजूर, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि बिहार की शिक्षा दर किस प्रकार बढ़ी है । 2011 की तुलना में हम 2024 में हैं । वर्ष 1961 में बिहार में जहां 22 परसेंट लिट्रेसी था, 2011 में जहां 61 परसेंट लिट्रेसी था आज बिहार के अंदर 78 परसेंट से अधिक लोग लिट्रेट हैं तो इन लोगों को लिट्रेसी से कोई लेना देना है नहीं । जब शिक्षा विभाग जैसे गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है तो ये हंगामा खड़ा कर रहे हैं, हंगामा खड़ा करना इनका उद्देश्य है...

(व्यवधान जारी)

मैं बार-बार कहता हूं ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल पिला रहे थे, बिहार को किस ओर ले जाना चाह रहे थे तो हम लोग तो शिक्षा की बात कर रहे हैं इनको पच नहीं रहा है । आज विद्यालय की क्या हालत है । आपको जानकर अच्छा लगेगा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में बिहार में 97 परसेंट दाखिला हो रहा है । यह नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 97 परसेंट दाखिला आज प्राथमिक शिक्षा में बिहार कर रहा है और अगर...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर जाइये, पहले अपने स्थान पर जाइये । उसके बाद बात करेंगे । नहीं, वेल में कोई बात नहीं करेंगे ।

श्री जिवेश कुमार : अगर देखा जाय तो 2022-23 में कुल प्राथमिक विद्यालय बिहार के अंदर 42 हजार थे और कुल उच्च विद्यालय 36,947 थे । हुजूर, इनके टाईम में क्या था, ये चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं इसीलिए हल्ला कर रहे हैं । ये बिहार के गरीब के बच्चों को चरवाहा बनाना चाह रहे थे...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपके पास केवल एक मिनट है । कंक्लूड करिये ।

श्री जिवेश कुमार : ताकि इनका बच्चा बिहार का उपमुख्यमंत्री बन सके । बाकी गरीब का बच्चा चरवाहा बन जाय तो इनका बच्चा नौवीं फेल होने पर भी उप मुख्यमंत्री बन सके, इनकी योजना यह थी, इनकी मंशा यह थी...

(व्यवधान जारी)

इसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और बिहार की सरकार तो कंप्यूटर शिक्षा ला रही है आई0सी0टी0 लैब बिहार के अंदर हम खोल रहे हैं हम बिहार के बच्चों के हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं, ये बिहार के बच्चों को पैना और लाठी पकड़ा रहे थे तेल पिलाने के लिए और चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे । हुजूर, इनको मालूम नहीं होगा कि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी बढ़ी है...

(व्यवधान जारी)

बिहार के अंदर आज बिहार के अंदर पहले 22 विश्वविद्यालय थे 2015 में और आज 35 विश्वविद्यालय हैं बिहार के अंदर हुजूर, कॉलेज की संख्या आज बिहार में 874 हो गई है इनको क्या मालूम इन चीजों से कॉलेज और...

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री जिवेश कुमार : हुजूर, मैं सरकार से आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहता हूं कि संस्कृत को देव भाषा नहीं बताया जाय, संस्कृत किसी जमाने में आम आदमी की भाषा थी, यह आम आदमी तक कैसे पहुंचे सरकार इसकी चिंता करे, संस्कृत के लिए विशेष व्यवस्था करे अनुपूरक बजट के अंदर...

अध्यक्ष : समाप्त कीजिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री जिवेश कुमार : हुजूर, अंत में एक बात कहते हुए कि

''ज्योति जली है शिक्षा की,
बिहार विश्व मान है,
हम विश्व गुरू कहलायेंगे,
हो रहा यशगान है ।''

जय बिहार, तय बिहार के नारे के साथ हमलोग बढ़ रहे हैं हुजूर । बहुत-बहुत धन्यवाद हुजूर ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : वेल में खड़े रहेंगे तो नहीं बुलायेंगे आपको । श्री रामानुज प्रसाद, बोलिये । वेल में खड़ा रहियेगा तो नहीं बुलायेंगे । पहले अपनी सीट पर जाइये । कोई बात नहीं सुनी जाएगी आपकी । कोई बात नहीं सुनी जाएगी । रामानुज प्रसाद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बढ़ें आगे ? श्री रामानुज प्रसाद ।

(व्यवधान जारी)

आप बैठिये...

(व्यवधान जारी)

वाह-वाह, बहुत बढ़िया । बहुत बढ़िया । अपने चरित्र का परिचय दे रहे हैं आप लोग, बढ़िया कर रहे हैं, कर्मचारियों को चोट लगा रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं ? आपका चरित्र उजागर हो रहा है सबके सामने...

(व्यवधान जारी)

बिल्कुल नहीं, वेल में खड़ा होइएगा तो नहीं बोलने देंगे, अपनी सीट पर जाइए । अपनी सीट पर जाइए तो बोलने दूंगा । वेल में खड़ा होकर नहीं, अपनी सीट पर जाइए । अपनी सीट पर जाइएगा तभी बोलने देंगे नहीं तो नहीं हो सकता है, सीट पर जाइये पहले...

(व्यवधान जारी)

सीट पर जाइए, वहाॅ से कुछ नहीं सुनी जाएगी । कोई बात नहीं सुनी जाएगी।

अब सदन की कार्यवाही 04.50 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-13/मुकुल/25.07.2024

(स्थगन के उपरांत)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें शिक्षा विभाग के प्रथम अनुपूरक प्रस्ताव पर अपनी बातों को सदन में रखने का मौका दिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी हमें सौंपी है । माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में गुणात्मक और सकारात्मक सुधार हुए हैं । जहां एक तरफ उन्होंने अपनी प्रेरणा से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई है, दूसरी तरफ उन्होंने यह भी ख्याल रखा है कि समाज के सभी वर्गों को मौका मिले कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले और इसी वजह से जितने भी हमारे जो भी स्कीम्स इत्यादि आयें उनमें यह ध्यान रखा गया कि समाज के उन वर्गों का विशेषकर बालिकाओं का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का, अतिपिछड़ों का, दलितों का और कमजोर वर्गों को सही शिक्षा दी जा सके और महोदय, यही कारण है कि हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 18 प्रतिशत से ज्यादा करीब 52,639.03 करोड़ रूपये शिक्षा विभाग के लिए रखे गये हैं । महोदय, हमारे सामने चुनौतियां अनेक हैं जहां 74 हजार से ज्यादा स्कूल हैं, 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा एक से बारहवीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स हैं, छात्र-छात्राएं हैं और हमारे पास करीब 5 लाख 77 हजार शिक्षक हैं और सभी विश्वविद्यालयों में मिलाकर 26 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं हैं । ऐसे में हमें यह ध्यान रखना था कि शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार आये इसी वजह से एक ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हमलोगों ने 1,73,064 विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति एक ही दिन में की, जो पूरे हिन्दुस्तान में हम समझते हैं कि ऐतिहासिक

कदम रहा है । इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में 1,60,082 नियुक्तियां होंगी । जैसा कि एक सदस्य कह रहे थे कि उसमें कम्प्यूटर शिक्षकों की भी संख्या 26 हजार होगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों से जो शिक्षक थे, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के उद्देश्य से हमलोगों ने सक्षमता परीक्षा रखी और प्रथम सक्षमता परीक्षा में 1 लाख 87 हजार स्थानीय निकाय द्वारा ये लोग उत्तीर्ण हुए, आगे चलकर 85 हजार से ज्यादा लोग और परीक्षा दे रहे हैं और हमलोगों ने यह ध्यान रखा है कि जब उनके स्थानांतरण के लिए नियमावली बनायेंगे उसमें काफी उदारता रखेंगे, खासकर के महिलाओं के बारे में और खासकर के असाध्य रोग या इस तरह के बीमारी से ग्रसित हैं या पति-पत्नी हैं तो उनलोगों के स्थानांतरण में हमलोग विशेष ध्यान देंगे । महोदय, अगर हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हमारे शिक्षकों की भी उसी तरह से ट्रेनिंग हो, इसी कारण से हमारे जो एस.सी.ई.आर.टी. जो इंस्टीच्यूट हैं, यहां पर मैं खुद भी गया हूं। वहां पर किस तरह से शिक्षकों की ट्रेनिंग अच्छे तरीके से हो सके उस पर भी हमलोग ध्यान दे रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य है कि जितने शिक्षक हैं कम-से-कम साल में उनकी दो बार ट्रेनिंग हो सके और वहां पर जो सिलेबस बनाये जायें वे ऐसे बनाये जायें कि आगे चलकर हमारे छात्र-छात्राएं जो कम्पटीशन के एग्जाम्स देंगे उसमें वे बेहतरीन रूप से सामने आ सकें । इसके अतिरिक्त जो आधारभूत संरचना है उसमें हमलोगों ने ध्यान दिया है कि किस तरीके से स्कूलों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको दे पाएं, उसके लिए हमलोगों ने कार्रवाइयां की हैं, मुख्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर । हमने सभी माननीय सदस्यों से 10-10 विद्यालयों की सूची भी मांगी है, जिनका आने वाले सत्र तक, इसके बाद के सत्र तक उनका हमलोग जीर्णोद्धार करने का प्रयास करेंगे । कई माननीय सदस्यों ने शिकायतें भी की थीं जो काम हुए हैं वे अच्छे तरीके से नहीं हुए हैं, उस पर हमलोग इन्क्वायरी करा रहे हैं और जो भी दोषी पाये जायेंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाइयां होंगी और कुछ पर कार्रवाइयां हो चुकी हैं । हमलोगों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो सके ताकि सही आंकड़ा आ सके और जब उनका आधार सीडिंग कर देंगे तो यह पता चलेगा कि 25 प्रतिशत जो गरीब बच्चे

और बच्चियां, जिनके खर्चे की प्रतिपूर्ति सरकार करती है उनका सही आंकड़ा हमारे पास आ सके । इस तरह से प्राइवेट स्कूलों में भी हम सही तरीके से मदद कर पायेंगे। परीक्षा संचालन में हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और पिछले साल 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी और जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, इस बार जो हमलोगों ने बिल लाया है उसके अनुसार अब ऑनलाइन परीक्षाएं भी संभव हो पायेंगी । सरकार की मुख्य जो स्कीम्स हैं, जैसे मिड-डे-मील जिसे मध्याह्न भोजन कहते हैं, वह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है उसमें नित्य करीब 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को हम मध्याह्न भोजन सही तरीके से देते हैं और उसमें अगर जो शिकायतें मिलती हैं तो हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर पर कोई भी व्यक्ति उसके बारे में सूचना दे सकता है और डायरेक्ट बैनीफिसियरिज ट्रांस्फर्स हम करा रहे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी हो रहा है और अंत में मैं कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहूंगा जिससे पता चलेगा कि किस तरह से शिक्षा में गुणात्मक सुधार आये हैं । महोदय, वर्ष-2006 में शिक्षकों की संख्या 1 लाख 80 हजार थी इस वर्ष-2024 में 5 लाख 77 हजार है । इस तरह से पहले विद्यालयों में छात्र और शिक्षक का अनुपात 65:1 का था, अब 32:1 का हो गया है । उसी तरह से साक्षरता दर में महिलाओं में पहले 33 प्रतिशत थी, अब 74 प्रतिशत हो गयी है । आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन जो है 1 प्रतिशत से कम हो गये हैं और बजट में 11 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है । अत: मैं चाहता हूं कि सदन हमारी मांग को पारित करे और हमारे जो वक्तव्य हैं उसे प्रोसीडिंग का पार्ट बना दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, इसे कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जाय ।

(माननीय शिक्षा मंत्री जी का लिखित वक्तव्य-परिशिष्ट द्रष्टव्य)

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''शीर्षक की मांग 10 रु0 से घटाई जाय ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''शिक्षा विभाग के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 10391,30,83,000/- (दस हजार तीन सौ इक्यानवे करोड़ तीस लाख तेरासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है ।

(सभा की सहमति हुई)

माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगें गिलोटिन के माध्यम से लिए जाएंगे ।

टर्न-14/यानपति/25.07.2024

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त :-

मांग संख्या-1 कृषि विभाग के संबंध में 303,45,45,000/- (तीन सौ तीन करोड़ पैंतालीस लाख पैंतालीस हजार) रुपये

मांग संख्या-2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 310,52,49,000 (तीन सौ दस करोड़ बावन लाख उन्चास हजार) रुपये

मांग संख्या-3 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 2847,47,97,000/- (दो हजार आठ सौ सैंतालीस करोड़ सैंतालीस लाख सन्तानवे हजार) रुपये

मांग संख्या-4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 41,44,96,000 (इकतालीस करोड़ चौवालीस लाख छियानवे हजार) रुपये

मांग संख्या-6 निर्वाचन विभाग के संबंध में 87,85,00,000/- (सत्तासी करोड़ पचासी लाख) रुपये

मांग संख्या-7 निगरानी विभाग के संबंध में 48,00,000/-(अड़तालीस लाख) रुपये

मांग संख्या-8 कला संस्कृति के संबंध में 17,44,28,000/-(सत्रह करोड़ चौवालीस लाख अट्ठाइस हजार) रुपये

मांग संख्या-9 सहकारिता विभाग के संबंध में 78,20,000/- (अठहत्तर लाख बीस हजार) रुपये

माँग संख्या-10 ऊर्जा विभाग के संबंध में 7885,01,45,000/- (सात हजार आठ सौ पचासी करोड़ एक लाख पैंतालीस हजार) रूपये

माँग संख्या-11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 12,00,00,000/- (बारह करोड़) रूपये

माँग संख्या-12 वित्त विभाग के संबंध में 10119,93,61,000/- (दस हजार एक सौ उन्नीस करोड़ तिरान्वे लाख इकसठ हजार) रूपये

माँग संख्या-16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 355,88,80,000/- (तीन सौ पचपन करोड़ अट्ठासी लाख अस्सी हजार) रूपये

माँग संख्या-17 वाणिज्य-कर विभाग के संबंध में 26,88,000/- (छब्बीस लाख अट्ठासी हजार) रूपये

माँग संख्या-18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 279,95,19,000/- (दो सौ उन्नासी करोड़ पंचानवे लाख उन्नीस हजार) रूपये

माँग संख्या-19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 177,73,49,000/- (एक सौ सतहत्तर करोड़ तेहत्तर लाख उन्चास हजार) रूपये

माँग संख्या-20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 3798,59,21,000/- (तीन हजार सात सौ अन्ठानवे करोड़ उन्सठ लाख इक्कीस हजार) रूपये

माँग संख्या-22 गृह विभाग के संबंध में 392,70,52,000/- (तीन सौ बानवे करोड़ सत्तर लाख बावन हजार) रूपये

माँग संख्या-23 उद्योग विभाग के संबंध में 454,46,92,000/- (चार सौ चौवन करोड़ छियालीस लाख बानवे हजार) रूपये

माँग संख्या-25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 104,37,19,000/- (एक सौ चार करोड़ सैंतीस लाख उन्नीस हजार) रूपये

माँग संख्या-26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 59,92,82,000/- (उन्सठ करोड़ बानवे लाख बयासी हजार) रूपये

माँग संख्या-27 विधि विभाग के संबंध में 503,86,38,000/- (पाँच सौ तीन करोड़ छियासी लाख अड़तीस हजार) रूपये

माँग संख्या-29 खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 61,55,00,000/- (इकसठ करोड़ पचपन लाख) रूपये

माँग संख्या-30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 34,95,00,000/- (चौंतीस करोड़ पंचानवे लाख) रूपये

माँग संख्या-31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 66,50,000/- (छियासठ लाख पचास हजार) रूपये

माँग संख्या-32 विधान मंडल के संबंध में 19,20,00,000/- (उन्नीस करोड़ बीस लाख) रूपये

माँग संख्या-33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 11,98,10,000/- (ग्यारह करोड़ अन्ठानवे लाख दस हजार) रूपये

माँग संख्या-35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 86,71,70,000/- (छियासी करोड़ इक्हत्तर लाख सत्तर हजार) रूपये

माँग संख्या-36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 200,00,01,000/- (दो सौ करोड़ एक हजार) रूपये

माँग संख्या-37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 353,00,00,000/- (तीन सौ तिरेपन करोड़) रूपये

माँग संख्या-38 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 3,60,00,000/- (तीन करोड़ साठ लाख) रूपये

माँग संख्या-39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 73,77,66,000/- (तिहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख छियासठ हजार) रूपये

माँग संख्या-40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 415,33,22,000/- (चार सौ पन्द्रह करोड़ तैतीस लाख बाइस हजार) रूपये

माँग संख्या-41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में 2098,00,00,000/- (दो हजार अन्ठानवे करोड़) रूपये

माँग संख्या-42 ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 543,98,61,000/- (पाँच सौ तैतालीस करोड़ अन्ठानवे लाख इकसठ हजार) रूपये

माँग संख्या-43 विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में 57,20,00,000/- (सन्तावन करोड़ बीस लाख) रूपये

माँग संख्या-44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 40,30,00,000/- (चालीस करोड़ तीस लाख) रूपये

माँग संख्या-45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 1,35,64,000/- (एक करोड़ पैंतीस लाख चौंसठ हजार) रूपये

माँग संख्या-46 पर्यटन विभाग के संबंध में 40,63,13,000/- (चालीस करोड़ तिरसठ लाख तेरह हजार) रूपये

माँग संख्या-47 परिवहन विभाग के संबंध में 191,82,60,000/- (एक सौ इक्यान्वे करोड़ बयासी लाख साठ हजार) रूपये

माँग संख्या-48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 1760,18,24,000/- (एक हजार सात सौ साठ करोड़ अठारह लाख चौबीस हजार) रूपये

माँग संख्या-49 जल संसाधन विभाग के संबंध में 681,03,85,000/- (छः सौ इक्यासी करोड़ तीन लाख पचासी हजार) रूपये

माँग संख्या-50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 213,30,65,000/- (दो सौ तेरह करोड़ तीस लाख पैंसठ हजार) रूपये

माँग संख्या-51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 2371,87,38,000/- (दो हजार तीन सौ इकहत्तर करोड़ सतासी लाख अड़तीस हजार) रूपये

माँग संख्या-52 खेल विभाग के संबंध में 27,25,00,000/- (सत्ताईस करोड़ पचीस लाख) रूपये

से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुई ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024

अध्यक्ष : अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई । प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2024 का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान सभा में 22 जुलाई, 2024 को उपस्थापित किया गया और आप जैसा जानते हैं कि अभी तुरंत ही पूरे विधान सभा ने प्रथम अनुपूरक के तौर पर जो हमारी राशि थी लगभग 47512,11,17,000/- (सैंतालीस हजार पांच सौ बारह करोड़ ग्यारह लाख सत्रह हजार) रुपया अभी तुरंत इसी सदन ने स्वीकृत करने का काम किया है । अब खजाना तो दे दिया है, सभी लोगों से यह भी आग्रह कर रहा हूं कि आगे जो स्कीम चलाने हैं, जो नियुक्तियां करनी हैं, बिहार के विकास को आगे बढ़ाना है और केंद्रीय क्षेत्र के जो स्कीम हैं उसके लिए भी राशि हमलोगों ने तय किया है । अध्यक्ष महोदय, हमलोग यही आग्रह करना चाहते हैं कि यह राशि खर्च करने का अधिकार सरकार को

मिले । हम सभी लोगों से, सभी सदन के सदस्यों से आग्रह करेंगे कि हमलोगों को यह अधिकार दे जिससे कि बिहार के विकास को हम गति दे सकें, इसमें कई योजना जो लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे हैं चाहे वह स्वच्छता मिशन हो, चाहे वह मेट्रो रेल स्कीम हो, ग्रामीण सड़कें हों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हो, पोषाहार की योजना हो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की योजना हो, कई योजना जो लगातार बिहार के विकास के लिए, बिहार के कल्याण के लिए चलाए जा रहे हैं, हम सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे, निवेदन भी करेंगे कि हमें यह अधिकार दें कि बिहार के विकास के लिए प्रथम अनुपूरक के तौर पर जो 47512,11,17,000/- (सैंतालीस हजार पांच सौ बारह करोड़ ग्यारह लाख सत्रह हजार) रुपया का भी, हमारे साथी मंत्री आदरणीय सुनील जी ने जिस प्रस्ताव को यहां स्वीकृत कराया, हम जरूर इस सदन से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस प्रथम अनुपूरक के विनियोग बजट को भी ''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024'' को भी पारित करने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-15/अंजली/25.07.2024

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-25 जुलाई, 2024 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-72 हैं । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक-26 जुलाई, 2024 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट 25/3/25

मानननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के प्रथम अनुपूरक आगणन प्रस्ताव की अभिभाषण सामग्री

21/3/25
शिक्षा मंत्री

माननीय अध्यक्ष, महोदय

- **हम आपके शुक्रगुजार है कि आपने हमें शिक्षा विभाग के प्रथम अनुपूरक प्रस्ताव पर सदन में बातों को रखने का मौका दिया है।**
- **हम माननीय मुख्यमंत्री के प्रति अभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी दी है।**

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य को **शिक्षा के क्षेत्र में पुराना गौरव दिलाने हेतु गुणात्मक सुधार और सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास** किया जा रहा है। शिक्षा ज्ञान आधारित समाज के निर्माण का सबसे शक्तिशाली साधन है। **बिहार हमेशा से बौद्धिक जागृति और प्रगतिशील सोच की भूमि रही** है। **उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को श्रेष्ठता की ऊंचाइयों** तक पहुँचाने के लक्ष्य से **नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है** और सरकार के स्तर पर **भागलपुर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन किया गया है।** बिहार की उच्च शिक्षा को नए आयामों तक पहुँचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सरकार की प्राथमिकता है कि समाज के सभी वर्गों

विशेषकर बालिकाओं, आर्थिक रूप से कमजोर, दलित, महादलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और अभिवंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं **शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हो।**

बिहार अपने बजट का इतनी बड़ी राशि **शिक्षा पर व्यय करने वाले अग्रणी राज्यों में एक है, वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा पर बजट** का एक बड़ा भाग **कुल 52,639.03 करोड़ रूपये (बावन हजार छः सौ उनचालीस करोड़ तीन लाख रूपये) {राज्य का कुल बजट–2,78,726 करोड़** रूपये **(दो लाख अठत्तर हजार सात सौ छब्बीस करोड़ रूपये)} व्यय किया जाता है जो की राज्य के कुल बजट का लगभग 18.93 प्रतिशत है।**

2. चुनौतियाँ (Challenges) :–

हमारे उद्देश्य बहुत ही सकारात्मक हैं, परन्तु हमारे सामने बहुत सी चुनौतियाँ भी हैं। माननीय सदस्य आप सभी अवगत हैं कि :–

- बिहार राज्य में स्कूली शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा से +2 तक) हेतु **कुल 74,623 (चौहत्तर हजार छः सौ तेईस) सरकारी विद्यालय** है। इनमें **नामांकित छात्रों की संख्या–1.81 करोड़**

(एक करोड़ एक्कासी लाख) है एवं **कुल शिक्षकों की संख्या–5.77 लाख (पाँच लाख सतहत्तर हजार)** है। सरकारी विद्यालयों में नामांकित सभी छात्र/छात्राओं में अध्ययन समक्ष, सोचने की क्षमता और व्यवसायी कौशल का विकास करना एक चुनौती है।

- बिहार राज्य में **राजकीय विश्वविद्यालयों की संख्या–15, निजी विश्वविद्यालयों की संख्या–07,** अंगीभूत, संबंद्ध एवं वित्त रहित **संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या लगभग 1092** (एक हजार बान्नबे) हैं, **जिसमें लगभग 26.00 लाख (छबीस लाख) छात्र/छात्राएँ नामांकित हैं।**

3. **विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति :–**

राज्य सरकार द्वारा **सरकारी विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से दो चरणों में 1,73,064 (एक लाख तिहत्तर हजार चौसठ) विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति कर ऐतिहासिक समय में योगदान करा दिया गया है,** जो देश के लिए एक मिसाल है और राज्य को गौरवान्वित करता है।

प्रक्रियाधीन नियुक्ति :– विभाग में कुल 1,60,082 (एक लाख साठ हजार बेरासी) की नियुक्ति प्रक्रियाधीन हैं :–

विद्यालय अध्यापक	87,774 (सतासी हजार सात सौ चौहत्तर)
प्रधान शिक्षक (प्रारंभिक विद्यालय)	40,247 (चालीस हजार दो सौ सैतालीस)
प्रधान शिक्षक (माध्यमिक विद्यालय)	6,061(छः हजार एकसठ)
कम्प्यूटर शिक्षक (माध्यमिक विद्यालय)	26,000 (छबीस हजार)

- **स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक को राज्य कर्मी का दर्जा देने के क्रम में सक्षमता परीक्षा का आयोजन** बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के माध्यम से किया गया है, जिसके प्रथम चरण में कुल **1.99 लाख (एक लाख निनावे हजार) स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें 1.87 लाख (एक लाख सतासी हजार) स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक ने परीक्षा उत्तीर्ण की** है। **द्वितीय चरण हेतु** परीक्षा प्रक्रियाधीन है, जिसमें कुल **85156 (पचासी हजार एक सौ छप्पन) शिक्षकों द्वारा परीक्षा दी जानी** है।
- **विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति :–**बिहार के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्ति हेतु **4638 (चार हजार छः सौ**

अड़तीस) प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है, जिसके अन्तर्गत **1201 (बारह सौ एक) प्राध्यापकों का चयन** कर विश्वविद्यालयों को भेजा जा चुका है।

4. शिक्षकों की स्थानान्तरण नियमावली :–

राज्य सरकार शिक्षकों के बेहतर सेवा शर्त को सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। **स्थानीय निकाय के** सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण **शिक्षकों के पदस्थापन एवं अन्य श्रेणी के शिक्षकों का असाध्य** (Incurable) **एवं गंभीर रोग**(Serious Illness), **दिव्यांगता** (Disabilities) **पति–पत्नी के पदस्थापन स्थल के आधार पर स्थानान्तरण तथा अनुकम्पात्मक** (Compassionate) **नियुक्ति से संबंधित नीति निर्धारण** हेतु सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक **चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।** समिति द्वारा सभी मामलों पर गहन विचार–विमर्श किया जा रहा है एवं अनुशंसा अतिशीघ्र प्राप्त होने की संभावना है। **अनुशंसा प्राप्त होते ही समीक्षोपरांत शिक्षकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।**

5. **शिक्षक प्रशिक्षण** (Teacher Training) :-

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.) बिहार राज्य सरकार की शैक्षिक विभाग का महत्वपूर्ण संस्थान है जो राज्य के शिक्षा प्रणाली को सुधारने और विकसित करने का

कार्य करता है। **जिसका कुल बजट 101.50 करोड़ (एक सौ एक करोड़ पचास लाख रूपये)** इसका मुख्य उद्धेश्य शिक्षा के सम्पूर्ण अनुसंधान, कार्यरत शिक्षकों का क्षमता संबर्धन एवं शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालयों के पाठयक्रम तैयार करने का कार्य करना है। **इसके अन्तर्गत 78 प्रशिक्षण संस्थान जिलों में संचालित है।** इसके द्वारा शिक्षकों के नये शिक्षा तकनीकों और संसाधनों की उपयोगिता के संदर्भ में एक सप्ताह में **16,330 (सोलह हजार तीन सौ तीस) शिक्षकों को प्रशिक्षण** प्रदान करने की क्षमता है, जिसके विरूद्ध प्रत्येक सप्ताह **15,830 शिक्षकों (पन्द्रह हजार आठ सौ तीस)** *को* **06 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण** दिया जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023–2024 में एस.सी.ई.आर.टी., बिपार्ड एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा **4,69,944 (चार लाख उनहत्तर हजार नौ सौ चौवालीस) शिक्षकों को 06 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कराया गया।** वर्त्तमान **वितीय वर्ष के माह जुलाई तक 2,19,088 (दो लाख उन्नीस हजार अट्ठासी) शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया जा चुका** है।

- **मेरे द्वारा स्वंय भी इन प्रशिक्षणों का भ्रमण** कर अवलोकन किया गया है। यह एक सार्थक प्रयास है और हमारा उद्देश्य है कि

प्रत्येक शिक्षक को वर्ष में दो बार प्रशिक्षित कर उनका क्षमतावर्धन (Capacity building) किया जाए।

6. <u>**आधारभूत संरचना विकास :–**</u>

बिहार के स्कूलों एवं कॉलेजों में आधारभूत संरचना का विकास तेजी से किया जा रहा है। आपने भी अपने क्षेत्र में देखा होगा कि विभाग का प्रयास रहा है कि सभी स्कूल में कक्षाएँ अच्छी अवस्था में हों, बच्चों के लिए बेंच–डेस्क उपलब्ध हों, पेयजल की सुविधा हों, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय की उपलब्धता हों, विशेष श्रेणी के बच्चों (Child With Special Need) के लिए शौचालय की उपलब्धता हों, रंग–रोगन, चाहरदीवारी, विद्युत कनेक्शन, पंखा, ट्यूब लाईट एवं बल्ब की उपलब्धता हों, भवनों की मरम्मति एवं अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण हों आदि कार्य किये जा रहे है।

- **बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि० (BSEIDC)** द्वारा स्कूल भवन कक्षाऐं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाऐं और अन्य सुविधाओं के निर्माण, जीर्णोद्धार एवं रख–रखाव का कार्य किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में **अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण, नया विद्यालय भवन का निर्माण, बालिका छात्रावास, मॉडल स्कूल आदि लगभग 444 परियोजनाओं को**

कुल 585.95 करोड़ रूपये की लागत से पूर्ण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में **7,616 वर्ग कक्षों** का निर्माण, **685 नया विद्यालय भवन** का निर्माण, **9,374 शौचालय** का निर्माण, **5,891 विद्यालयों में पेयजल** की सुविधा एवं **100 विद्यालयों में सोलर पैनल** की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- **विभाग द्वारा विद्यालयों में आधारभूत संरचना विकास हेतु सीधे जिलों को भी राशि उपलब्ध कराया गया है।** वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण, जिर्णोद्धार चारदीवारी निर्माण, बेंच डेस्क, किचन सेड एवं प्रयोगशाला उपस्कर इत्यादि के लिए **3012.85 करोड़ (तीन हजार बारह करोड़ पचासी लाख रूपये)** की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है और अभी तक **994.24 करोड़ (नौ सौ चौरान्नबे करोड़ चौबीस लाख रूपये)** की राशि जिलों को उपलब्ध कराई जा चुकी है।
- **साथ ही माननीय सदस्यों एवं माननीय मंत्रियों से निवेदन किया है** कि वह अपने क्षेत्रा**धीन 05 प्रारंभिक विद्यालयों तथा 05 माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना के जीर्णोद्धार एवं सम्पूर्ण सुधार** हेतु **कुल 10 विद्यालयों** को अनुशंसित

करें। कुछ माननीय सदस्यों से विभाग को अनुशंसा प्राप्त भी होने लगा है। माननीय सदस्यों एवं मंत्रियों द्वारा अनुशंसित विद्यालयों की कायाकल्प करने हेतु कार्य किया जायेगा।

- **आज सदन में माननीय सदस्यों ने बेंच–डेस्क एवं सबमर्सिबल जैसे कार्यों में शिकायत की है कि कई पदाधिकारियों द्वारा इसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया है एवं इसमें वित्तीय अनियमितता की गई है।** सदन को अवगत कराना चाहेंगें, शिक्षा विभाग ऐसी अनियमितताओं को गंभीरता से लेता है और इस पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस आलोक में सदन को अवगत कराना है कि बेंच–डेस्क हेतु सभी जिला अधिकारियों को जाँच का निदेश दिया गया हैं।

7. <u>नवमीं कक्षा में पंचायत से बाहर नामांकन की सुविधा :–</u>

विभाग द्वारा नवमीं कक्षा में नामांकन को सुलभ बनाने हेतु कोई भी छात्र अपने पंचायत के माध्यमिक विद्यालय में नामांकन लेने की बाध्यता को शिथिल करते हुए, उन्हें विकल्प दिया गया है। इसके लिए **प्रावधान किया गया है कि यदि छात्र इच्छुक हो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर दूसरे पंचायत के माध्यमिक विद्यालयों भी नामांकन** ले सकते है।

8. <u>निजी विद्यालयों (प्राईवेट स्कूलों) का निबंधनः–</u>

- **राज्य सरकार द्वारा निजी विद्यालयों का निबंधन (NOC) का कार्य किया जा रहा** है, जिसमें **अब तक 14000 निजी विद्यालयों का निबंधन किया गया** है एवं अन्य विद्यालयों का निबंधन प्रक्रियाधीन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act, 2009) की धारा 12 (1) (C) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में **25 प्रतिशत कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह** के बच्चों का नामांकन किया जाना अनिवार्य है एवं नामांकन संबंधित प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। विभाग शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता एवं योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थी छात्र/छात्राओं को **लाभ पहुँचाने हेतु संकल्पित** है। इसलिए यह जरूरी है की **सभी निजी विद्यालयों का निबंधन कराया जाए, जिससे राज्य में संचालित कुल विद्यालयों की संख्या एवं उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सभी आकड़ा विभाग को प्राप्त हो सकें।**

9. परीक्षा संचालन :–

प्रारंभिक विद्यालयों में (वर्ग 01 से 08 तक) परीक्षा का आयोजन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के द्वारा किया जाता है। शैक्षिक सत्र 2023–24 में कुल **1,45,79,232 (एक करोड़ पैंतालीस लाख उन्नासी हजार दो सौ बतीस)** बच्चें परीक्षा में सम्मिलित हुए, **जिसमें 18.39 प्रतिशत बच्चों ने 81 प्रतिशत से अधिक अंक** प्राप्त किये, **44.91 प्रतिशत बच्चों ने 60–80 प्रतिशत के बीच अंक** प्राप्त किये, **36.69 प्रतिशत बच्चों ने 60 प्रतिशत से कम अंक** प्राप्त किये। विभाग मिशन दक्ष चलाकर 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों पर विशेष ध्यान दे रही है।

- माध्यमिक एंव उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में **मैट्रिक एवं इन्टर की परीक्षा** का आयोजन **बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना** के द्वारा किया जाता है।

माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का परीक्षाफल

परीक्षा	सम्मिलित विद्यार्थी			उत्तीर्ण विद्यार्थी			उत्तीर्णता		
	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल
माध्यमिक	790920	819737	1610657	661570	643633	1305203	84%	79%	81%
इन्टर मीडिएट	673023	631563	1304586	551960	539988	1091948	82%	86%	83%

- सदन को यह अवगत कराने में मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनका महिला सशक्तिकरण एवं महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान है, उनकी इस पहल के कारण **इन्टरमीडिएट परीक्षा में छात्रों की अपेक्षा छात्राओं के उर्तीण होने का प्रतिशत अधिक है।**
- **बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा परीक्षाओं को ऑनलाईन मोड में भी आयोजित किया जा सकेगा।**

10. महत्वपूर्ण विभागीय योजनाएँ :–

(क) मध्याह्न भोजन योजना (Mid Day Meal)

मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत राज्य के 67,485 **(सड़सठ हजार चार सौ पचासी)** विद्यालयों में प्रतिदिन 1,08,85,300 **(एक करोड़ आठ लाख पचासी हजार तीन सौ)** छात्र–छात्राओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी विद्यालयों में उपस्थित बच्चों को शत–प्रतिशत मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है।

- **मध्याह्न भोजन योजना की अनुश्रवण व्यवस्था–** मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में सुधार हेतु इसके संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों के निष्पादन हेतु त्वरित कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग

द्वारा मध्याह्न भोजन से संबंधित जनशिकायत प्राप्त करने हेतु व्हाट्सएप नम्बर भी जारी किया गया है। इसके लिए मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने राज्य के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को संबंधित जन शिकायत पत्रों का निष्पादन का निदेश दिया है।

- मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटे के अन्दर जाँचोंपरान्त अनियमितता पाये जाने पर दोषी के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जिला स्तर पर शिकायतों की जाँच के समय शिकायतकर्त्ता को भी शामिल करने का स्पष्ट निदेश है।

(ख) Direct Benefit Transfer (DBT)

योजना अन्तर्गत **वित्तीय वर्ष 2023–24 में बालिका पोशाक योजना, किशोरी स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक, मुख्यमंत्री साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना, मुख्यमंत्री मेधावृति** आदि योजनाओं के 75 प्रतिशत उपस्थिति/परीक्षा में मेधा के आधार पर लाभुक छात्र/छात्राओं को **डी0बी0टी0 के माध्यम से** उनके खाते में **643.47 करोड़ (छः सौ तेतालीस करोड़ सैंतालीस लाख रूपये) की राशि वितरित** की गयी है। **वित्तीय वर्ष 2024–25 में** भी उक्त

योजनाओं की राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से **75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर लाभुक छात्र/छात्राओं के लिए 788.47 करोड़ (सात सौ अठासी करोड़ सैंतालीस लाख रूपये) राशि** उपलब्ध कराई गई है।

(ग) मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट प्रोत्साहन) योजना

वित्तीय वर्ष 2018–19 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इन्टरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त सभी कोटि के अविवाहित छात्राओं को इस योजना के तहत प्रति छात्रा 10,000 (दस हजार रूपये) की दर से DBT के माध्यम से राशि उपलब्ध कराया जाता था, जिसे वर्ष 2022–23 से बढ़ाकर 25000 (पचीस हजार रूपये) कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2023–24 तक इस योजना के तहत कुल 25,02,930 (पचीस लाख दो हजार नौ सौ तीस) छात्राओं के बैंक खातों में DBT के माध्यम से कुल 4118.73 करोड़ (एकतालिस हजार अठारह करोड़ तेहत्तर लाख रूपये) राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

(घ) मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना

राज्य में बालिकाओं को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के निमित्त वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में प्रति छात्रा

25,000/–(पच्चीस हजार रूपये) मात्र उपलब्ध कराया जाता है। **वित्तीय वर्ष 2021–22 से प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर रू0 50,000 (पचास हजार रूपये)** करने का निर्णय लिया गया है।

- **वित्तीय वर्ष 2018–19** से अब तक इस योजना के तहत **कुल 4,53,013 (चार लाख तीरपन हजार तेरह) छात्राओं** के बैंक खातों में DBT के माध्यम से **कुल 1611.67 करोड़ (सोलह सौ ग्यारह करोड़ सड़सठ लाख रूपये) राशि उपलब्ध** करायी जा चुकी है।

(ङ) बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

राज्य के **12वीं उर्तीण जरूरतमंद विद्यार्थियों** के उच्चत्तर शिक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एक अग्रणीय कदम है। यह **योजना 02 अक्टूबर, 2016 से संचालित है** जिसके अन्तर्गत निर्धन छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु **रू0 4 लाख की राशि ऋण बालक को 4 प्रतिशत** तथा **बालिकाओं, दिव्यांगों एवं ट्रांसजेन्डरों को 01 प्रतिशत सरल ब्याज की दर से** उपलब्ध करायी जाती है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा छात्र/छात्राओं को **बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम** के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

- अभी तक स्वीकृत **कुल आवेदन 320712 (तीन लाख बीस हजार सात सौ बारह)** के विरूद्ध **311616 (तीन लाख गयारह हजार छः सौ सोलह) विद्यार्थियों को 5657.82 करोड़ (पाँच हजार छः सौ सनताबन करोड़ बेरासी लाख रूपये)** का **शिक्षा ऋण** उपलब्ध कराया जा चुका है।

(च) JEE/NEET हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा

बिहार विधालय परीक्षा समिति से **माध्यमिक उत्तीर्ण टॉपर विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग तथा मेडिकल (JEE/NEET इत्यादि) प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी** हेतु 100 छात्रों एवं 100 छात्राओं के लिए कोचिंग की सुविधा **वर्ष 2023 से प्रारंभ** कर दी गई है। जिसमें आवासन, भोजन, पढ़ाई से लेकर सभी प्रकार के **व्यय समिति द्वारा वहन** किया जायेगा।

(छ) महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना–

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग **अक्षर आँचल योजना** के अन्तर्गत **वित्तीय वर्ष 2024–25 में** शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) द्वारा अपने पोषक क्षेत्र के **कुल 4,89,673 (चार लाख नबासी हजार छः सौ तीहत्तर) असाक्षरों का नामांकन साक्षरता केन्द्रों पर** किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 माह अक्टूबर, 2023 से शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का मानदेय 11000 रू० (ग्यारह हजार) रूपये प्रतिमाह से वृद्धि कर 22000 रू0 (बाईस

हजार) प्रतिमाह किया गया है, तथा राज्य सरकार द्वारा इसके **अतिरिक्त 1950 रू० (उन्नीस सौ पचास) ई०पी०एफ० का भी अंशदान** दिया जाता है, जिससे अब उनको **कुल 23950 रू० (तेइस हजार नौ सौ पचास) प्रतिमाह मानदेय देय** है। वर्तमान समय में **18241 (अठारह हजार दो सौ एकतालिस) शिक्षा सेवक** एवं **8154 (आठ हजार एक सौ चौवन)शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज)** को उक्त योजना का लाभ दिया जा रहा है।

11. नवाचार (Innovations) :-

- **मिशन निपुण बिहार :– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** की अनुशंसाओं के आलोक में **3 से 8 वर्ष के बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञाण** की दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए **भारत सरकार की योजना मिशन निपुण भारत अन्तर्गत मिशन निपुण बिहार** संचालित किया जा रहा है। राज्य के सरकारी विद्यालयों के कक्षा I से XII में नामांकित छात्र/छात्राओं के उपयोग हेतु वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024–25 में **FLN/LEP KIT यथा–स्कूल बैग, स्लेट, पेन्सिल, चॉक, रबर, कटर, कॉपी, ड्राइंग बुक, कलर एवं वाटर बोतल निःशुल्क उपलब्ध** कराने की कार्रवाई जा रही है।
- **मिशन दक्ष :– कक्षा–03 से 08 तक** के वैसे बच्चे जिनमें **बुनियादी भाषा एवं गणित विषय** में वर्ग कक्ष के अनुरूप कौशल का अभाव है, को विशेष कक्षाओं के माध्यम से शिक्षित किया जाना है।

जिससे कि वह अपने **कक्षा के अनुरूप दक्षताओं को प्राप्त करने** में समर्थ हो सके एवं साथ ही बच्चों में होनेवाली छीजन को कम किया जा सके। इसके लिए **साप्ताहिक/मासिक/सावधिक परीक्षा का आयोजन** किया जा रहा है, जिस पर **90.00 करोड़ का व्यय** आकलित है।

12. अनुश्रवण व्यवस्था :—

(क) कमांड एवं कंट्रोल सेंटर

- शिक्षा विभाग द्वारा कमांड एवं कंट्रोल सेंटर जनता से शिक्षा विभाग द्वारा संचालित **योजनाओं एवं कार्यों पर फीडबैक एवं शिकायत एकीकृत करने हेतु** स्थापित किया गया है। जिसमे **टोल–फ्री नंबर पर कॉल कर जनता को अपनी शिकायतें तत्काल और सरलता से पंजीकृत करने की सुविधा** मिलती है, जिसे शिक्षा विभाग त्वरित और प्रभावी तरीके से समाधान प्रदान करने का कार्य करती है। जिसके लिए उन्हें **शिकायत नंबर भी निर्गत** किया जाता है एवं शिकायतकर्ता के सम्पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही उन्हें बंद किया जाता है। इसमें प्रायः मध्याह्न भोजन योजना, बेंच डेस्क, शौचालय, विद्यालय के भवन कमरों की स्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, आईसीटी लैब, पेयजल की स्थिति, विधुत कनेक्शन, पंखा, लाईट सम्बन्धी जानकारी दर्ज कराई जाती है **अब तक**

3860 शिकायत दर्ज हुई है, जिसमे 2322 शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 928 शिकायत को पूर्ण रूप से समाधान करते हुए शेष पर कार्रवाई की जा रही है।

(ख) "ई–शिक्षाकोष"

- शिक्षा विभाग में **सभी तरह के आंकडे और योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए समेकित सॉफ्टवेयर "ई–शिक्षाकोष" तैयार किया है।** इस पोर्टल के माध्यम **से बच्चों एवं शिक्षकों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ और आंकड़े के आधार पर योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी** प्रारंभ की गई है।
- **ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है।** भविष्य में विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की उपस्थिति भी ई–शिक्षाकोष के पोर्टल पर प्रारंभ की जायेगी। वर्तमान में सभी विद्यालयों के द्वारा बच्चों से संबंधित जानकारियाँ एवं आंकड़े दर्ज किये जा रहें है।

(ग) "पदाधिकारियों द्वारा भौतिक निरीक्षण"

- शिक्षा विभाग द्वारा अनुश्रवण को बेहतर बनाने हेतु विभाग के पदाधिकारियों की टोली बनाकर उन्हें जिला आवंटित कर धरातल पर जाकर **शिक्षा विभाग के नीतियों एवं योजनाओं के**

क्रियानव्ययन का भौतिक निरीक्षण करने का निदेश दिया गया हैं। यह पदाधिकारी **अगले तीन माह तक आवंटित जिलों में प्रत्येक सप्ताह कम–से–कम पाँच आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे** एवं पाई गई कमियों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें दूर करने का कार्य करेंगे। साथ हीं सभी निरीक्षी पदाधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

13. उच्चत्तर शिक्षा :–

सरकार चाहती है कि उच्च शिक्षा में हमारे **15 राजकीय विश्वविद्यालयों को सेन्टर ऑफ एक्सेलेन्स के रूप में विकसित** किया जाय, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता के साथ–साथ अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिल सकें।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में **5884.82 करोड़ (पांच हजार आठ सौ चौरासी करोड़ बेरासी लाख) की राशि** उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यय की जानी है, **(*जो कि हमारे पड़ोसी राज्यों की तुलना में सर्वाधिक व्यय करने वाला राज्य है। राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु, प0 बंगाल, महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक उच्च शिक्षा पर व्यय करने वाला बिहार चौथा राज्य है*)**

हमारे द्वारा विश्वविद्यालय के सभी कुलपतियों के साथ बैठक कर निम्न बिन्दुओं पर विशेष चर्चा की गई, जिसमें –

1. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र का समय से संचालन एवं अकादमिक कैलेण्डर का प्रकाशन।
2. नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं समय पर पूर्ण करना।
3. परीक्षा का निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत आयोजन एवं परीक्षाफल का प्रकाशन।
4. उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता लाने हेतु अकादमिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं वित्तीय सुधार।

भारत सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए "**समर्थ पोर्टल**" विकसित किया गया है। यह मुख्यतः उच्च शिक्षा संस्थानों के दैनिक कार्यों के त्वरित निष्पादन, समय एवं संसाधनों के बचत के उद्देश्य से विकसित किया गया है। जो उच्च शिक्षा की योजना बनाने, प्रबंधन करने, राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा संबंधित आकड़ों को एक मंच पर एककृत करने एवं अनुश्रवण करने की सुविधा देता **है। इसमें मुख्य 05 मॉड्यूल हैं तथा 40 से अधिक सह–मॉड्यूल हैं**। शिक्षा विभाग द्वारा चरणबद्ध

तरीके से सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने की कार्रवाई की जा रही है।

14. सकारात्मक प्रभाव (Positive Impact) :–

- **2006** से **2024 के मध्य** सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में व्यापक पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति के बाद **अध्यापकों की संख्या में 220 प्रतिशत वृद्धि हुई है।**

	2006	2024
शिक्षकों की संख्या	1.80	5.77

- **विद्यालीय शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात**

	2005	2024
छात्र शिक्षक अनुपात	65:1	32 :1

- **साक्षरता दर**

	2001 की जनगणना		2011 की जनगणना		**2023 जाति जनगणना**	
साक्षरता दर	**पुरूष**	**महिला**	पुरूष	महिला	**पुरूष**	**महिला**
	60.32%	33.57%	71.20%	51.50%	84.91%	73.91%

- **2005 में 12.5% बच्चे विद्यालय से बाहर** थे। उन विद्यालय से बाहर के बच्चों को उम्र सापेक्ष कक्षा में पहुँचाने हेतु विभिन्न केन्द्रों यथा–उत्प्रेरण केन्द्र, उन्नयन केन्द्र, प्रयास केन्द्र, उत्थान केन्द्र, तालिमी मरकज एवं विद्यालय चलों केन्द्र की शुरूआत की गयी। जिसके फलस्वरूपः–

	2005	2024
Out of School Children	12%	1% से भी कम

शिक्षा पर व्यय :–

	2005	2024
शिक्षा पर व्यय	4261.72 करोड (चार हजार दो सौ इकसठ करोड़ बहत्तर लाख रूपये)	52639.03 करोड (बावन हजार छः सौ उनचालीस करोड़ तीन लाख रूपये)

प्रथम अनुपूरक आगणन प्रस्ताव

शिक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए **कुल 52639.03 करोड़ (बावन हजार छः सौ उनचालीस करोड़ तीन लाख रूपये) रूपये** का बजट उपबंध किया गया है। इनमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए 30438.68 करोड़ (तीस हजार चार सौ अड़तीस करोड़ अढ़सठ लाख रूपये) रूपये, केन्द्रांश के रूप में 12221.08 (बारह हजार दो सौ एक्कीस करोड़ आठ लाख) करोड़, राज्यांश के रूप में 5490.18 (पांच हजार चार सौ नब्बे करोड़ अठारह लाख) करोड़ तथा राज्य स्कीम अन्तर्गत 4489.09 करोड़ (चार हजार चार सौ उनासी करोड़ नौ लाख) प्राक्कलित है। **प्रथम अनुपूरक आगणन** अन्तर्गत **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 842.16 करोड़ (आठ सौ बेयालीस करोड़ सोलह लाख)** एवं योजना अंतर्गत **राज्यांश 726.04 करोड़ (सात सौकरोड़** तथा **राज्य स्कीम अन्तर्गत 9187.47 करोड़ (नौ हजार एक सौ सतासी**

करोड़ सैतालीस लाख) अर्थात् **कुल 10755.67 करोड़** (दस हजार सात सौ पचपन करोड़ सड़सठ लाख) **रूपये** अतिरिक्त उपबंध किये जाने का प्रस्ताव है,

राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रयासरत है कि स्कूल एवं उच्च शिक्षा बेहतर हो। हमारी सोच प्रगतिशील है, हमारे विचार नेक है, हमारे कदम मजबूत है। आने वाले समय में शिक्षित बिहार एवं विकसित बिहार बनाने का उद्देश्य पूरा होगा।

सदन से आग्रह है कि शिक्षा विभाग के प्रथम अनुपूरक प्रस्ताव पर सदन सर्वसहमति देने की कृपा करें।

***